



मॉयल भारती

अंक 9 : अप्रैल - सितंबर 2023

मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1- ए, काटोल रोड, नागपुर - 440013



श्रीनगर में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय मंत्री महोदय एवं इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी गण के कर कमलों से “मौयल भारती” पत्रिका के आठवें अंक का विमोचन किया गया।



माँगलिका

क्रं.	विषय	पेज नं.
1	इस्पात मंत्री जी का संदेश	02
2	इस्पात राज्यमंत्री जी का संदेश	03
3	इस्पात सचिव जी का संदेश	04
4	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जी का संदेश	05
5	निदेशक (वित्त) जी का संदेश	06
6	निदेशक (मा.सं.) जी का संदेश	07
7	निदेशक (वाणिज्य) जी का संदेश	08
8	निदेशक (उ.एवं.यो.) जी का संदेश	09
9	मुख्य सतरक्ता अधिकारी जी का संदेश	10
10	संपादकीय मंडल एवं संपादकीय	11
11	मॉयल लिमिटेड ने 61 वर्ष पूर्ण किये	12
12	मैंगनीज अयस्क का लक्षण वर्णन – पी. के. मिश्रा	13-14
13	राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम –2023-24	15-16
14	राजभाषा अधिनियम – 1963	17-19
15	राजभाषा संकल्प–1968	20
16	सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रारूप	21-24
17	टिप्पणियाँ	25
18	हिंदी अंग्रेजी शब्द	26
19	शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द	27
20	सामान्यत प्रयुक्त वाक्यांश एवं अभिव्यक्तियाँ	28-29
21	कंठस्थ 2.0 (अनुवाद सारथी) का परिचय	30-31
22	इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण	32
23	हिंदी सलाहकार समिती की बैठक का आयोजन	33
24	राजेश श्रीवास्तव जी की कविताएं	34
25	आचार्य द्विवेदीजी का महावीरत्व- डॉ. प्रणव शास्त्री	35
26	संसद भवन–कवि राधाकांत पाण्डेय	36-37
27	एकीकृत भुगतान इंटरफेस की क्रान्ति-अमित कुमार सिंह	38
28	जीवन एक उत्साह-आशिष सूर्यवंशी	39
29	कविता-पूजा वर्मा	40
30	क्या होती है “माँ” –संयुक्ता दास	40
31	कुछ यादगार पल	41-45
32	सबसे बड़े पुरस्कार की अंतहीन तलाश-रामअवतार देवांगन	46-47
33	हिंदी और अंग्रेजी – हैमलता विशाल साखरे	47
34	हिंदी की वह यादगार जीत-रामअवतार देवांगन	48
35	राष्ट्रीय चिकित्सा एवं उपकरण नीति 2023-डॉ. अमित सोनी	49
36	जलवायु परिवर्तन-घनोश खोत	49
37	यूनिकोड एनकॉडिंग-उज्ज्वला राजेश वानखेडे	50
38	श्रद्धा की कस्टौटी-भारती रमेश पिल्ले	51-52
39	आजादी का अमृत महोत्सव-दिव्येश लिम्बाचिया	52
40	ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2022-नैना बुराडे	53
41	पृथ्वी दिवस 2023-मनीषा लांजेवार	53
42	डिजिटल प्रकाशन का युग-मनोज निर्मलकर	54
43	सहकारी समितियों के सिद्धांत-प्रतिभा मिश्रा	55
44	दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश-रामदास पी. धकाते	56
45	कोविड 19-सोहनलाल विश्वकर्मा	56
46	सर्वेक्षण-संकटराम ब्राह्मवंशी	57-58
47	मॉयल समाचार पत्रों में	59-60



मंत्री

नागर विमानन एवं इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली
Minister of
Civil Aviation and Steel
Government of India, New Delhi

ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया
JYOTIRADITYA M. SCINDIA

संदेश

मॉयल लिमिटेड के 61वें स्थापना दिवस की आप सभी को द्वेर सारी
शुभकामनाएं।

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मॉयल लिमिटेड, नागपुर द्वारा राजभाषा हिन्दी के
उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजभाषा की पत्रिका “मॉयल भारती” का
प्रकाशन किया जा रहा है। इससे जहाँ एक और हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु उपयुक्त
वातावरण का सृजन होगा वहीं दूसरी ओर राजभाषा हिन्दी को व्यवहार में लाने के
संवैधानिक दायित्व की पूर्ति में भी यह पत्रिका उपयोगी एवं प्रेरक सिद्ध होगी।

मैं राजभाषा पत्रिका “मॉयल भारती” के नवीन अंक के प्रकाशन के लिए संपादक
मंडल एवं रचनाकारों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के निरंतर प्रकाशन के लिए
शुभकामनाएं देता हूँ।

(ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

Ministry of Civil Aviation : Room No. 291, B-Block, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003

Tel. : 91-11-24610350, 24632991. Fax : 91-11-24610354

Ministry of Steel : Room No. 192, 1st Floor, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 Tel. : +91-11-23062345, Fax : +91-11-23061395



फग्गन सिंह कुलस्ते
FAGGAN SINGH KULASTE



इस्पात एवं
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
MINISTER OF STATE FOR STEEL
AND RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
UDYOG BHAWAN, NEW DELHI-110011

संदेश

मॉयल लिमिटेड के 61वें स्थापना दिवस की आप सभी को
बहुत-बहुत बधाई।

मेरा मानना है कि हिन्दी के प्रयोग में सरल एवं आम प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल दिया जाए तो इससे राजभाषा के रूप में हिन्दी की व्यापकता को बल मिलेगा और गैर हिन्दी भाषियों को भी हिन्दी को व्यवहार में लाने में सुविधा होगी। राजभाषा पत्रिका मॉयल भारती के निरंतर प्रकाशन ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि मॉयल कार्मिकों के हृदय में राजभाषा के प्रति विशेष प्रेम है।

मैं मॉयल भारती पत्रिका के 9वें अंक के प्रकाशन के लिए संपादक मंडल एवं रचनकारों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के निरंतर प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

(फग्गन सिंह कुलस्ते)

Room No. 146, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 Phone No. 011-23063810, 23061370, Fax : 011-23062703
Delhi Residence : 8, Safdarjung Lane, New Delhi-110011, Phone : 011-23792158



G20
भारत 2023 INDIA



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STEEL

नारेन्द्र नाथ सिन्हा

भा. प्र. से. सचिव

14-06-2023

सन्देश

मॉयल लिमिटेड के 61 वें स्थापना-दिवस की आप सभी को शुभकामनाएँ।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मॉयल लिमिटेड की राजभाषा पत्रिका "मॉयल भारती" के 9 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति को सुगम्य बनाती है। संयोगवश भारत की हिन्दी भाषा जनसाधारण द्वारा आसानी से बोली, समझी, पढ़ी और लिखी जा सकती है, अतः राजभाषा के मानकों पर खरी उतरती है। राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं विकास से देश के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास को गति मिलती है। राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना हमारा नैतिक एवं संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है इसलिए, इसके प्रति हमारे सभी प्रयास अत्यधिक सकारात्मक होने चाहिए। इस दिशा में "मॉयल पत्रिका" का प्रकाशन भी एक सराहनीय कदम है।

पत्रिका के इस नए अंक हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

नारेन्द्र
नारेन्द्र सिन्हा

(नारेन्द्र नाथ सिन्हा)

Room No. 291, Gate No. 5, Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Tel. : +91-11-23063912, 23063489 (Fax); E-mail : secy-steel@nic.in



अजित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

मॉयल भवन, 1 ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013



प्रिय साथियों,

आप सभी को मॉयल लिमिटेड के 61वें स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मुझे आप सभी के साथ यह साझा करते हुये खुशी हो रही है कि मॉयल लिमिटेड के राजभाषा विभाग की पत्रिका 'मॉयल भारती' को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

हिन्दी गृह पत्रिका मॉयल भारती के नूतन अंक 9 के प्रकाशन पर मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मॉयल भारती राजभाषा हिन्दी के प्रोत्साहन में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मैं आप सभी को इसके लिए पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। राजभाषा हिन्दी को अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करने से न केवल हम अपने कार्यालयीन दायित्व को पूरा करते हैं बल्कि अपनी अस्मिता को भी सुरक्षित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाषा किसी भी देश की अस्मिता होती है और हमारी अस्मिता हिन्दी से जुड़ी है। अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। इसलिए हमें अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करना चाहिए।

मैं आप सभी को मॉयल भारती पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिये हार्दिक बधाई देता हूँ।

अजित कुमार सक्सेना



राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)



मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

मॉयल भवन, 1 ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013



प्रिय साथियों,

आप सभी को मॉयल लिमिटेड के 61वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हो रही है कि हिन्दी गृह पत्रिका मॉयल भारती के नवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

राजभाषा हिन्दी के विकास हेतु कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है। पत्रिकाओं के निरंतर प्रकाशन से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने हेतु एक उचित माहौल विकसित होता है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ - साथ राजभाषा संबंधी अन्य गतिविधियों का आयोजन एक सार्थक प्रयास है।

इस पत्रिका में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों और इसके पीछे कार्यरत संपादक मंडल को इस पत्रिका के प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

राकेश तुमाने



उषा सिंह
निदेशक (मानव संसाधन)



मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

मॉयल भवन, 1 ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013



प्रिय हिन्दी प्रेमियों ।

मॉयल लिमिटेड के 61वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग की गृह पत्रिका मॉयल भारती के 9वें संस्करण के विमोचन पर बहुत-बहुत बधाई ।

हिन्दी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है और साथ ही साथ, व्याकरण एवं शब्द भंडार की दृष्टि से यह एक समृद्ध भाषा है। हिन्दी सांस्कृतिक परंपरा की एक प्रबल वाहिनी भी है। अतः हिन्दी का प्रचार-प्रसार एवं इसका प्रयोग निःसंदेह जन उपयोगी है। हिन्दी ही वह भाषा है, जिसके माध्यम से हम सरकार की तमाम योजनाओं को जन-जन तक पहुँचा सकते हैं।

मैं पत्रिका के संपादक मंडल, इसमें प्रकाशित रचनाओं के रचनाकारों एवं प्रकाशन से संबंधित सभी कर्मियों के साथ-साथ सुधी पाठकों को इस अंक के लिये हार्दिक बधाई देती हूँ।

उषा सिंह
उषा सिंह



पी. व्ही. व्ही. पटनायक
निदेशक (वाणिज्य)



मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

मॉयल भवन, 1 ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013



प्रिय साथियों,

आप सभी को मॉयल लिमिटेड के 61वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका मॉयल भारती पत्रिका का नवां अंक प्रकाशित होने जा रहा है। यह राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और सराहनीय प्रयास है।

राजभाषा कार्यान्वयन के संदर्भ में हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व है। अतः मैं आशा करता हूँ कि सभी कर्मचारी हिन्दी भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करेंगे तथा इस पत्रिका को सफलता की नई ऊँचाई प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी गृह पत्रिका मॉयल भारती का यह अंक गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में तथा हिन्दी का समुचित प्रचार-प्रसार करने में सफल होगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

लीक्वी छुट्टी
पी. व्ही. व्ही. पटनायक



एम. एम. अब्दुल्ला
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)



मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
मॉयल भवन, 1 ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013



प्रिय साथियों,

आप सभी को कंपनी के 61वें स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मॉयल भारती के नवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका में विभाग के विभिन्न भाषा-भाषी कार्मिकों के द्वारा हिन्दी तथा अन्य रोचक विषयों पर राजभाषा हिन्दी में ज्ञानवर्धक लेख बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।

मेरा विश्वास है कि मॉयल अपने प्रयासों से निश्चित ही राजभाषा के क्षेत्र में अव्वल दर्जा हासिल कर सकती है। हिन्दी के प्रति कर्मचारियों की लगन और प्रतिभा हमें इसका भरोसा दिलाती है। देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक देश की प्रगति में हिन्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और अब यह हमारा दायित्व है कि राष्ट्र की सेवा के लिए हम हिन्दी को अपना माध्यम बनाएं और देश के गौरव को बढ़ाएं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

अध्यक्ष
एम. एम. अब्दुल्ला



प्रदीप कामले
मुख्य सतर्कता अधिकारी



मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
मॉयल भवन, 1 ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013




प्रिय साथियों,

आप सभी को कंपनी के 61वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

हिन्दी भाषा का दायरा अत्यंत व्यापक है और यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कार्यालय में हिन्दी भाषा का अधिकाधिक उपयोग होना एवं उसे बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहना एक सराहनीय कदम है। मॉयल लिमिटेड राजभाषा विभाग की गृह पत्रिका मॉयल भारती का प्रकाशन अवश्य ही उपयोगी साबित होगा व पत्रिका का प्रकाशन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी में कार्य करने को और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।


**प्रदीप
प्रदीप कामले**


संपादक मंडल



अनित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष

सह प्रबंध निदेशक



उषा सिंह

निदेशक

(मानव संसाधन)



विलोचन दास

महाप्रबंधक (कार्मिक)



एन. डी. पाण्डेय

कंपनी सचिव



पूजा वर्मा

राजभाषा अधिकारी



संपादकीय



प्रिय पाठकगण,

सप्रेम नमस्कार! कंपनी के 61वें स्थापना दिवस पर मॉयल भारती पत्रिका के 9वें अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हो रहा है। पत्रिका के अब तक 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस छोटी सी यात्रा में पत्रिका को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा भी निरंतर सराहा जा रहा है।

राजभाषा के कार्यान्वयन की सरलता के लिए दैनिक उपयोग जैसी सरल-सहज सामग्री को सम्मिलित किया गया है। मॉयल की खदानों एवं मुख्यालय की रोचक गतिविधियों को भी शामिल करते हुए इस अंक को अधिक रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक बनाया गया है।

इस अंक में, हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन के साथ ही मॉयल कर्मियों की साहित्यिक अभिव्यक्तियों को भी स्थान दिया गया है। जिसमें कहानी कविताएं और स्लोगन का समावेश है।

मुझे विश्वास है कि आपको भी पत्रिका के अंकों का बेसब्री से इंतजार रहा होगा, हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा तो आईये इस 9वें अंक की यात्रा का शुभारंभ करते हैं।

धन्यवाद !

जय हिन्द ! जय हिन्दी !

पूजा वर्मा

संपादक - मॉयल भारती



मॉयल लिमिटेड ने 22 जून 2023 को 61 वर्ष पूर्ण किये

मॉयल लिमिटेड, (पूर्व में मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड) मिनिरल शेड्युल ‘ए’ का सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी मुलतः स्थापना 1896 में हुई थी। वर्तमान में मॉयल 10 खदानों का प्रचालन करती है। महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलें में 6 खदानें तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलें में 4 खदानें स्थित हैं। मॉयल लिमिटेड द्वारा चलाई जा रहें खदानों की सूची नीचे दर्शाए अनुसार है:

महाराष्ट्र

चिखला खान
डोंगरी बुजुर्ग खान
बेलडोंगरी खान

कान्द्री खान
मनसर खान
गुमगांव खान

मध्य प्रदेश

बालाघाट खान
उकवा खान

तिरोडी खान
सितापटोर खान

विश्व में लोहा, एल्युमिनियम तथा तांबा के पश्चात सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाला चौथे नंबर का धातु मैंगनीज है। मैंगनीज, इस्पात की शक्ति, कड़ापन, प्रतिरोधकता, कठोरता तथा कार्यक्षमता में सुधार करता है तथा डी-ऑक्सीडाइजर एवं डी-सल्फराईजर के तौर पर भी काम करता है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया में मैंगनीज का कोई समाधान कारक विकल्प की पहचान नहीं की गई है जो इसके, असाधारण तकनीकी लाभ के साथ इसके कम मूल्य का विकल्प बन सके। इस्पात में अधिकतम मैंगनीज, मैंगनीज अलॉय (फैरो मैंगनीज एवं सिलिको मैंगनीज) के रूप में उपयोग किया जाता है।

उपयोग : विश्व में उत्पादित होने वाला मैंगनीज अयस्क का लगभग 95 प्रतिशत मैंगनीज अलॉय के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तथा शेष की खपत बैंटरी, रसायन, एल्युमिनियम एवं तांबा अलॉय में की जाती है। मैंगनीज का अति महत्वपूर्ण अ-धात्विक उपयोग मैंगनीज डाय-ऑक्साईड के रूप में होता है जो शुष्क सेल बैटरी में डी-पोलराईजर के तौर पर उपयोग किया जाता है। रसायन उद्योग भी मैंगनीज का उपयोग पोटेशियम परमैग्नेट, मैंगनीज सल्फेट इत्यादि बनाने में करते हैं।

भारत में मैंगनीज का खनन:

देश में मैंगनीज का खनन भूतल के साथ-साथ भूगर्भ प्रणाली द्वारा किया जाता है। देश के 149 परिचालित खदानों में से 8 भूगर्भ खदानें हैं। सभी भूगर्भ खदानें अर्ध-यंत्रिकृत हैं तथा स्टोपिंग के लिए कट एंड फ़िल प्रणाली अपनाई जाती है। भूतल खदानों का कार्य मॅन्युअल एवं अर्ध-यंत्रिकृत प्रणाली से ड्रील्स, डम्परट्रक्स, एक्सकॉवेटर, इत्यादि का परिनियोजन करके किया जाता है। अयस्क श्रेणी के चयन हेतु हस्त छटाई एवं दृश्य श्रेणीकरण का तरीका अपनाया जाता है। अयस्क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ खदानों पर मॅन्युअल के साथ यंत्रिकृत ड्रिंगिंग की जाती है।

रेल्वे द्वारा भेजने के लिए खदान से रेल स्थानक तक मैंगनीज अयस्क का परिवहन किया जाता है जहां से रेल ग्राहक तक उसे पहुंचाया जाता है। सड़क मार्ग द्वारा भी खदान से ग्राहक तक सीधे परिवहन किया जा रहा है।



"Manganese is the Miracle Minerals its Connecting the World"

"मैंगनीज एक चमत्कारिक खनिज है। जो विश्व को जोड़ती है"

उष्मीय विश्लेषण द्वारा मैंगनीज अयस्क का लक्षण वर्णन



Characterization of Manganese Ore By Thermal Analysis

मैंगनीज एक रासायनिक तत्व है, जो रासायनिक नजरिये से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। प्रकृति में यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है। जिसमें लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। शुद्ध करने के बाद इसका रंग सलेटी होता है और अगर इसे इस्पात में मिलाया जाये, तो इस्पात जंग नहीं खाता है और इस्पात को मजबूती प्रदान करता है।

मैंगनीज के गुण

Symbol (चिह्न)	Mn
Discovery Year (खोजका वर्ष)	1774
Atomic Number (परमाणु क्रमांक)	25
Atomic Weight (परमाणु द्रव्यमान)	54.94
Melting Point (गलनांक)	1246°C
Boiling Point (क्वथनांक)	2061°C
Density (घनत्व)	7.21 - 7.44 gram / cm³ at 20°C
Electronic Configuration (इलेक्ट्रॉन विन्यास)	(Ar)3d5,4s2


डोंगरी बुजुर्ग खदान में पाइरोलुसाइट (Pyrolusite) नामक अयस्क पाया जाता है जो कि मैंगनीज डाईआक्साइड (MnO_2) के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार है।




MnO_2 का उपयोग कई तरह से करते हैं जैसे कि ड्राई बैटरी के लिए, (MnO) बनाने के लिए, केमिकल्स प्लांट के लिए, MnSO_4 (मैंगनीज सल्फेट) बनाने के लिए, (KMnO_4) (पोटेशियम पर मैंगनेट) बनाने के लिए आदि।

राष्ट्रभाषा या राजभाषा के लिए हम भीख नहीं मांगते, यह हमारे जनतंत्री अधिकार और संविधान का आदेश है - नन्ददुलारे वाजपेयी

यहाँ पर हमने इसका उपयोग MnO बनाने के लिए प्रयोगात्मक तौर पर किया है। MnO बहु उपयोगी अयस्क है। यह निम्न रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।



MnO का उपयोग मुख्यतः MnSO_4 मैंगनीज सल्फेट बनाने में होता है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है।



जिस को बाद में Electroplating के द्वारा E.M.D. बनाया जाता है।

प्रयोगात्मक तौर पर Thermogravimetric विधि द्वारा MnO बनाने के लिए हमने यहाँ पर डोंगरी बुजुर्ग माईन के 60% MnO_2 को लिया है। जिसका Analytical Specification इस प्रकार है।

$\text{MnO}_2\%$	Mn%	Fe%	$\text{MnO}\%$	LOI%	Phos%	$\text{SiO}_2\%$	$\text{H}_2\text{O}\%$
59.58	41.88	8.00	1.75	7.90	0.243	11.32	0.36

यहाँ पर उपरोक्त अयस्क को प्रयोगात्मक तौर पर MnO बनाने के लिए निम्न उपकरणों का उपयोग किया गया है।

Capsule के आकार का कंटेनर

Muffle Furnace / T.G.A. (तापमान देने के लिए)

Temperature Recorder (तापमान रिकॉर्डर)

Time Recorder (समय रिकॉर्डर)


Charcoal

यहाँ पाइरोलुसाइट अयस्क को Capsule के आकार के Container (कंटेनर) में लेकर, उसको M.F./T.G.A. में अभिक्रिया के लिए रख दिया जाता है।


यह देखा गया है कि अयस्क का अपघटन (Decomposition) 680°C पर शुरू हो जाता है और इसके रंग में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। यानि कि अयस्क 710-740°C पर saturated अवस्था में आ जाता है और यहाँ पर कोई अन्य अभिक्रिया प्राप्त नहीं होती है और इसका रंग हरा हो जाता है और विश्लेषण करने पर इसका Character (लक्षण) भी बदल जाते हैं, जो इस प्रकार है।

MnO ₂ %	Mn%	Fe%	MnO%	Reduction Efficiency %
2.38	46.10	9.80	45.20	98.04

The Typical Thermal Curve of Pyrolusite Ore Shows A Major Endothermic Peak Between 680 To 710°C.



Temperature Vs Time Plot



Change in Colour after reduction of MnO₂ Ore

Data comparison से यह पता चलता है कि कच्चे अयस्क में MnO 1.75% से बढ़कर 45.20% हो गया है और Mn 41.88% से बढ़कर 46.10% हो गया है और Reduction Efficiency 98.04% हो गयी है, जो कि यह दर्शाता है कि अयस्क का Character (लक्षण), तापमान बदलने पर इसके Physical & Chemical Properties (भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म) भी बदल जाते हैं और अपनी इसी गुणधर्म के आधार पर अलग-अलग यौगिक के साथ मिलकर नये उत्पाद बनाते हैं जो संस्था के विकास और देश के विकास में उपयोगी साबित होते हैं।

Important Manganese Bearing Minerals



राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम - 2023 - 24

<u>क्र.सं.</u> <u>कार्य विवरण</u>	<u>"क"</u> क्षेत्र	<u>"ख"</u> क्षेत्र	<u>"ग"</u> क्षेत्र
1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3. हिंदी में टिप्पणी	75%	50%	30%
4. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5. हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6. हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
2.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/नियमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

राजभाषा अधिनियम - 1963

(यथा संशोधित - 1967) - (1963 का अधिनियम संख्यांक -19)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

2. धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26 वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना

1. संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा-

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी

निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच या

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच में प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कंपनी का कर्मचारी वृद्ध हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

3. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधि सूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं।

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञाप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

4. उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ

निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्ट तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

5. उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर

4. राजभाषा के सम्बन्ध में समिति

1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

2. इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा आर सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

4. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर

राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अधिनियम किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा। परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

1) नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, अधिनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

2. नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधित किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी देशों में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में

उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग

नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा

8. नियम बनाने की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निस्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निस्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी - 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प
आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

संकल्प

" जब कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है।

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जानेवाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जब कि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाएं किए जाने चाहिए।

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए

त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4. और जब कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाएः

यह सभा संकल्प करती है कि-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोष जनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्चस्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।“

सरकारी पत्राचार में प्रयोग किए जाने वाले पत्राचार के विभिन्न प्रारूप

मसौदा लेखन

सरकारी कार्यालयों में कामकाज को निपटाने में पत्राचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन पत्राचार के माध्यम से होता है। प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन व्यवस्थित पत्राचार पर आधारित है। किसी भी कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र के कच्चे रूप को मसौदा या आलेख कहते हैं। उसमें आवश्यक संशोधन तथा परिवर्तन करके उसे पूर्ण कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाकर, संशोधित प्रारूप को प्रेषिती के पास भेज दिया जाता है। सामान्यतः मसौदा टिप्पणी के आधार पर ही तैयार किया जाता है। इसके अपने निश्चित नियम हैं। टिप्पण और प्रारूपण सरकारी कार्यालयों के प्राण तत्व है। इसे कार्यालयीन कार्य व्यवस्था के एक बड़े साधन के रूप में जाना जाता है। कार्यालयी पत्र तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इन्हें पूर्व संदर्भों सहित तटस्थ रहते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार किसी एक रूप में नहीं किया जाता। उसके विविध रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। विषय के अनुसार पत्र व्यवहार का रूप भी बदलता रहता है। सरकारी पत्राचार में निम्नलिखित प्रारूप मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं- सरकारी पत्र, अर्थ- सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, अधिसूचना, संकल्प, पृष्ठांकन अंतर्विभागीय टिप्पणी इत्यादि। आदेश, इन प्रारूपों की अपनी-अपनी विशिष्टता होती है जो निम्न प्रकार है-

सरकारी पत्र

सरकारी पत्राचार में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला प्रारूप सरकारी पत्र होता है। इसका प्रयोग विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग जैसे साविधिक निकाय, सार्वजनिक निकायों, वित्तीय संस्थाओं एवं जनता के साथ पत्र व्यवहार (सूचना लेने या देने) करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता। इसके लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग होता है।

जब पत्र का उत्तर नहीं आता तब अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप भी पत्र के समान होता है। उस पर दाई और केवल अनुस्मारक और उसकी संख्या लिखी जाती है।

सरकारी पत्र का नमूना

दूरभाष संख्या.....

सं.

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग

स्थान

दिनांक

सेवा में,
सचिव,

प्रदेश सरकार,

मंत्रालय

विषय:

महोदय, महोदया

पत्र का कलेवर

भवदीय / भवदीया

हस्ताक्षर

(क.ख.ग.)

पदनाम

पृष्ठांकन संख्या स्थान,

दिनांक की प्रति सूचना तथा उचित कार्रवाई

के लिए निम्नलिखित को प्रेषित

1.

2.

3. गार्ड फाईल

हस्ताक्षर

(क.ख.ग.)

पदनाम

भारत सरकार

टेलीफोन नंबर

अर्थ - सरकारी पत्र

अर्थ-सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान-प्रदान या प्रेषण के लिए किया जाता है। इसमें निर्धारित क्रियाविधि के पालन की जरूरत नहीं होती। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो या जिसकी कार्रवाई में बहुत देरी हो चुकी है और सरकारी स्मरण पत्र भेजने पर भी कोई उपयुक्त जवाब नहीं मिला हो तो ऐसी स्थिति में भी अर्थ सरकारी पत्र लिखा जाता है।

अर्थ - सरकारी पत्र का नमूना

प्रतीक चिन्ह

क.ख.ग.

पदनाम

दूरभाष

अ.स.प.सं.

भारत सरकार

मंत्रालय

कार्यालय

स्थान

दिनांक

आदरणीय / प्रिय / प्रिय श्री / माननीय

कलेवर

शुभकामनाओं सहित / सादर

आपका / शुभेच्छा / शुभाकांक्षी

हस्ताक्षर

च.छ.ज.

टिप्पणी : गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अर्थसरकारी पत्र के समान हो सकता है परंतु उसे अर्थ सरकारी पत्र नहीं कहा जाता।

परिपत्र :

मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह आंतरिक होता है। इसका उद्देश्य नियमों या अनुदेशों को आवश्यकतानुसार सामान्य रूप से सूचित करना होता है। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं है क्योंकि इसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना है। किसी प्रकार के उत्तर की आशा इसमें अनिवार्यः नहीं की जाती।

परिपत्र का नमूना

दूरभाष

संख्या

भारत सरकार

मंत्रालय / विभाग

स्थान

दिनांक

परिपत्र

विषय :

कलेवर

हस्ताक्षर
(क.ख.ग.)
पदनाम

प्रतिलिपि प्रेषित

1. सभी अनुभाग ।
2. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
3. सूचना पट्ट ।

कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग मंत्रालयों के बीच आपसी पत्र व्यवहार, अन्य विभाग के साथ पत्राचार करने, विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना देने, भेजने (लेकिन यह सूचना सरकारी आदेश के समान नहीं होती) तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए किया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन का नमूना

आर्थिक असमानता के कारण किसानों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है
- ज्योतिबा फुले

दूरभाष

फाईल संख्या

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग

अनुभाग

स्थान

दिनांक

कार्यालय ज्ञापन

विषय

अंतरविभागीय टिप्पणी

जब दो मंत्रालयों, मंत्रालय और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बीच किसी प्रस्ताव पर विचार, सलाह, सम्मति या टिप्पणी प्राप्त करनी हो तो मिसिल पर या अलग से स्वतः पूर्ण टिप्पणी भेजी जाती है, जिसे अंतरविभागीय टिप्पणी कहा जाता है। भारत सरकार के वर्तमान नियमों, अनुदेशों आदि के संबंध में विशेषज्ञों या सक्षम अधिकारियों से संष्ठीकरण प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।

अंतरविभागीय टिप्पणी का नमूना

मंत्रालय

कार्यालय

स्थान

विषय

कलेवर

हस्ताक्षर

(क.ख.ग.)

पदनाम

जिस अधिकारी/ कार्यालय/मंत्रालय को अंतरविभागीय टिप्पणी भेजी जानी है उसका पदनाम, विभाग, मंत्रालय, एवं पता

अंतरविभागीय टिप्पणी संख्या

दिनांक

अधिसूचना और संकल्प

अधिसूचना और संकल्प पत्राचार के दो ऐसे रूप हैं जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, तरक्की, छुट्टी, स्थानांतरण आदि की सूचना राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दी जाती है। सांविधिक (कानूनी) नियमों और आदेशों की घोषणा और प्रशासनिक शक्तियों के सौंपे जाने, संस्थानों/ कार्यालयों/विभागों

कलेवर

अधिसूचना का नमूना

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड 2 में प्रकाशन के लिए)

सं

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग

हस्ताक्षर
(क.ख.ग.)
पदनाम

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग

स्थान _____
दिनांक _____

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश का प्रयोग किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है। जैसे-अनुभागों और कार्मिकों के बीच काम का वितरण, छुट्टी की मंजूरी, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में तैनाती/स्थानांतरण आदि।

कार्यालय आदेश का नमूना

दूरभाष _____

संख्या _____
भारत सरकार
विभाग
कार्यालय

स्थान _____
दिनांक _____

कार्यालय आदेश

कलेवर _____

की उपलब्धियों, मंत्रालयों के विस्तार या विलय की सूचना आदि को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना के रूप में भेजा जाता है। संकल्प का प्रयोग नीति संबंधी सरकारी निर्णयों, जांच समितियों या जांच आयोगों के गठन, उनके विचारणीय विषयों, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों अथवा समितियों के निर्णयों के निष्कर्षों आदि की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता है। अधिसूचना और संकल्प का रूप प्रायः एक सा होता है।

अधिसूचना

कलेवर _____

सेवा में (क.ख.ग.)
प्रबंधक, पदनाम

भारत सरकार मुद्रणालय
फाईल संख्या _____
स्थान _____ दिनांक _____

प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई:

1. _____
2. _____
3. _____

हस्ताक्षर
(च.छ.ज.)
पदनाम

संकल्प का नमूना

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड 4 में प्रकाशन के लिए)

सं _____

भारत सरकार

मंत्रालय

स्थान _____
दिनांक _____

2. इस समिति के अध्यक्ष श्री होंगे।

इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1)

2)

3. यह समिति निम्नलिखित विषयों या अन्य ऐसे विषयों पर जिन्हें यह आवश्यक समझें, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी :-

क)

ख)

4. समिति, आगामी दिनांक से अपना काम आरंभ करेगी। इसका कार्यकाल छः महीने का होगा।

हस्ताक्षर

(क.ख.ग.)

पदनाम

भारत सरकार

1. आदेश आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र में तथा जनसाधारण की सूचनार्थ देश के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का प्रबंध किया जाए।

हस्ताक्षर

(क.ख.ग.)

पदनाम

भारत सरकार

टिप्पणी लेखन

कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के काम काज होते हैं। विभिन्न विषयों की फाईले प्रतिदिन निर्णयार्थ आगे बढ़ाई जाती है और इनके अग्रसरण के लिए अलग-अलग तरह की टिप्पणियों लिखी जाती है। अतः कार्यालय की कार्यविधि में टिप्पणी लेखन का विशेष महत्व है। डाक की प्राप्ति, वितरण और अवलोकन के पश्चात् आवर्तियों को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि उन पर टिप्पणी लिखी जाए। जब तक किसी मामले की सूचना, विवरण और सुझाव टिप्पणी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक अधिकतर मामलों में अधिकारी वर्ग अगली कार्रवाई नहीं कर सकता। इस प्रकार सरकारी आदेश निदेशों और होने वाले निर्णयों के मूल में टिप्पणी ही रहता है। टिप्पणी लेखन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. सभी तथ्य स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

2. किसी विशेष विषय या पत्र व्यवहार पर उपलब्ध तथ्य या प्रमाण की ओर ध्यान दिलाना।

3. अपेक्षित विषय या पत्र-व्यवहार पर विचार स्पष्ट करना। टिप्पणी लेखन के दो स्तर हैं।

4. अधिकारी स्तर पर - प्रशासनिक नेमी टिप्पणी एवं स्वतः पूर्ण टिप्पणी

5. सहायक स्तर पर - आवर्ती पर आधारित टिप्पणी एवं स्वत पूर्ण टिप्पणी

स्वतः पूर्ण टिप्पणी किसी आवर्ती पर आधारित न होकर परिस्थिति तथा आवश्यकता से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए होती है। टिप्पणी का यह स्वरूप स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में होता है। इसमें सर्वप्रथम फाइल संख्या, कार्यालय, विभाग का नाम, दिनांक तथा विषय का उल्लेख किया जाता है। इसके पश्चात टिप्पणी का कलेवर। टिप्पणी के दाई और अधिकारी के आद्यक्षर होते हैं एवं बाई और उच्चाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। टिप्पणी से सहमत होने पर संबंधित अधिकारी टिप्पणी के नीचे दाई और अपने हस्ताक्षर करता है।

आवर्ती पर आधारित टिप्पणी में सहायक अधिकारी के समक्ष आवर्ती के विवरण को कार्यालय में की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

जिसका आरंभ '

क्रम संख्या.....(आवर्ती) पृष्ठ.....

पत्राचार' से किया जाता है।

इसके पाँच चरण होते हैं -

1. आवर्ती का विषय

2. कारण

3. नियम

4. कार्यालय में कार्य की स्थिति:

5. सुझाव

टिप्पणियाँ

Administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
Draft for approval	प्रारूप / मसौदा अनुमोदनार्थी।
Dereliction of duty	कर्तव्य की अवहेलना।
Draft as amended is put up	यथा संशोधित मसौदा प्रस्तुत है।
Draft is concurred in	प्रारूप से सहमति है।
Ex parte proceeding	एक पक्षीय / इक तरफा कार्यवाही।
Follow up action	अनुवर्ती कार्रवाई।
For onward transmission	आगे भेजने के लिये।
Forwarded and recommended	अंग्रेजित एवं संस्तुत।
Give details	विस्तुत जानकारी दें।
Highly objectionable	अत्यंत आपत्ति जनक।
I have no further comments	मुझे कुछ नहीं कहना है।
Issue today	आज ही जारी करें।
In order of preference	वरीयता / अधिमान्यता के क्रम से।
Inter-alia	अन्य बातों के साथ - साथ।
Keep in abeyance	रोके रखा जाए।
Matter is under consideration	विषय / मामला विचारधीन है।
May be treated as urgent	उसे अति आवश्यक समझा जाए।
May be informed accordingly	तदनुसार सूचित किया जाए।
No action required/necessary	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।
Orders are solicited	कृपया आदेश दे।
Please expedite compliance	शीघ्र अनुपालन करें।
Put up for verification	सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
Reminder may be sent	अनुस्मारक / स्मरणपत्र भेजा।
Self-contained note	स्वतः पुर्ण टिप्पणी।
The file in question is placed below	संदर्भित फाईल नीचे रखी है।
The proposal is quite in order	यह प्रस्ताव नियमानुकूल है।
Violation of rules	नियमों का उल्लंघन।
Urgently required	अविलंब चाहिए, तुरंत चाहिए।
We are not concerned with this	इसका हमसे कोई संबंध नहीं है।
You are hereby authorised to	आपको एतद् द्वारा प्रधिकृत किया जाता है।
In a nutshell	संक्षेप में।
Anyhow	येन केन प्रकारेण / किसी भी तरह से।

हिंदी अंग्रेजी शब्द

Antecedents	पूर्ववृत्त	Vacancies	रिक्तियाँ
Surplus	अतिरिक्त	Integrity	सत्यनिष्ठा
Pay scale	वेतनमान	Discourteous	असर्वाभ्य
Classification	वर्गीकरण	Sublet	उप किराया
Essential Qualifications	आवश्यक अर्हताएँ	Annual Performance	वार्षिक निष्पादन
Experience	अनुभव	Liberally	उदारता पूर्वक
Deputation	प्रतिनियुक्ति	Permitted	अनुमति
Verification	सत्यापन	Impartiality	निष्पक्षता
To Segregate	पृथक करना	Evidence	साक्ष्य
Desirable	वांछनिय	Unavoidable	अपरिहार्य
Seniority	वरिष्ठता	Office premises	कार्यालय परिसर
Appointing Authority	नियुक्ति प्राधिकारी	Qualifying Service	अर्हक सेवा
Exam	परीक्षा	Employer	नियोक्ता
Daily Wager	दिहाड़ी मजदुर	Offence	अपराध
Appraisal Report	मूल्यांकन रिपोर्ट	Misconduct	अशिष्ट आचरण
Creation of posts	पदों का सृजन	Activities	गतिविधियाँ
Qualifications	योग्यताएँ	Customary gift	पारंपरिक उपहार
Procedure of Recruitment	भर्ती पद्धति	Direct Recruitment	सीधी भर्ती
Promotion	पदोन्नति	Registration	पंजीकरण
Character Certificate	चरित्र प्रमाणपत्र	Recruitment Rules	भर्ती नियम
Previous Service	पूर्ववर्ती सेवाएँ	Unauthorized	अनाधिकृत
Cadre	संवर्ग	Confirmation	रक्षायीकरण
Regulation	नियमन	Grading	श्रेणीकरण
Validity of Panel	पैनल की वैधता	Regular Post	नियमित पद
Periodical Reviews	सामयिक समीक्षा	Officiating	रक्षानापन्न
Non Selection Method	गैर चयन तरीका	Devotion to Duty	कर्तव्य परायणता
Habitual offender	आदतन अपराधी	Consultancy service	परामर्शदात्री सेवा
Immovable property	अचल संपत्ति	Discharge of duties	कर्तव्यों के निर्वहन

शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द

अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
अविष्कार	आविष्कार	अत्याधिक	अत्यधिक
रजनैतिक	राजनैतिक	आध्यात्म	अध्यात्म
सामर्थ	सामर्थ्य	अरचारस्थ	अरचरस्थ
संरकृतिक	सांरकृतिक	तिथी	तिथि
अहार	आहार	प्राप्ती	प्राप्ति
बजार	बाजार	आईए	आइए
व्यवहारिक	व्यावहारिक	पीएगे	पिएगे
व्यवसायिक	व्यावसायिक	उपाधी	उपाधि
परिभाषिक	पारिभाषिक	परीक्षा	परीक्षा
प्रतीक्षा	प्रतीक्षा	मूँह	मुँह
श्रीमति	श्रीमती	बिंदू	बिंदु
तृतीय	तृतीय	दुध	दूध
शताब्दि	शताब्दी	गहुं	गेहुं
लड़किया	लड़कियाँ	उचाई	ऊँचाई
दवाईया	दवाईयाँ	हिंदओ	हिंदुओ
रजाईया	रजाईयाँ	आलूओं	आलूओं
लिए	लिए	महिलाएं	महिलाएँ
गए	गए	भाषाएं	भाषाएँ
आइए	आइए	चहिएं	चहिए
ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐसा	ऐसा
ओद्योगिक	औद्योगिक	बिछोना	बिछौना
पोथा	पौथा	खिलोना	खिलौना
त्यौहार	त्योहार	रौब	रोब
रिण	ऋण	रितु	ऋतु
रिषि	ऋषि	रिचा	ऋचा
कड़कड़	कंकड़	पड़ख	पंख
कड़गन	कंगन	चचल	चंचल
पक्छी	पंछी	घण्टा	घंटा
डण्डा	डंडा	दन्त	दंत
कन्द	कंद	गन्ध	गंध
परम्परा	परंपरा	गुम्फित	गुंफित
कम्बल	कंबल	खम्भा	खंभा
अक्षामी	आगामी	अतिथी	अतिथि
हानी	हानि	गृहणी	गृहणी
मिठायी	मिठाई	झौंपडी	झोंपडी
जादु	जादू	पिजड़ा	पिजड़ा

सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त वाक्यांश और अभिव्यक्तियाँ

क्र.	अंग्रेजी वाक्य	हिंदी वाक्य
1.	Shri. has been appointed as in the scale of Rs. vide order no. dated	आदेश सं. तारीख के द्वारा श्री को रु. के वेतनमान में पद पर नियुक्त किया गया।
2.	Appointment substantively in the post of with effect from vide order no. dated	आदेश सं. तारीख द्वारा तारीख से के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये गये।
3.	Appointment as w.e.f. in the scale pay Rs. vide office order no. dated	तारीख के कार्यालय आदेश सं. के अनुसार तारीख से रु. के वेतनमान में के पद पर नियुक्त किया गया।
4.	Pay fixed in the post of in the scale of Rs. per month w.e.f. vide order no. dated	के आदेश सं. तारीख के अनुसार तारीख से के पद पर रु. के वेतनमान से वेतन नियत किया गया।
5.	Pay fixed in the revised scale of pay under FR-22C at Rs. in the scale Rs. w.e.f. vide order no. dated (F. No.)	तारीख के आदेश सं. फाईल सं. के अनुसार संशोधित वेतन मान में मूल नियम २२ (सी) के अंतर्गत रु. के वेतनमान में रु. वेतन नियत किया गया।
6.	On appointment as pay fixed at Rs. P.M. in the scale of Rs. w.e.f. under F.R. 22C (Order No. Dated) file no. page no. के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप मूल नियम २२ सी के तहत आदेश सं. तारीख फाईल सं. पृष्ठ के अधीन तारीख से रु. वेतन नियत किया गया।
7.	In accordance with the Ministry of Finance (Dept. Of Expenditure) O.M. no. dated granted one more increment onin addition to the increment already granted on this date raising his pay to Rs.on vide order no. dated (File No.) ने आदेश सं. तारीख फाईल सं. (द्वारा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. दि. के अनुसार तारीख को एक और वेतन वृद्धि मंजूर की गई जो इसी तारीख को दी गयी वेतन वृद्धि के अलावा है। इस वेतन वृद्धि के कारण उनका वेतन तारीख से बढ़कर रु. हो गया।
8.	As a measure of penalty the next increment is withheld for a period of one year without having the effect of post poning this future increment - vide order no. dated	आदेश से दिनांक के अनुसार दण्ड के बतौर आगामी वेतनवृद्धि एक वर्ष की अवधि के लिए रोक दी गई है जिसका भविष्य की वेतनवृद्धियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्रं.	अंग्रेजी वाक्य	हिंदी वाक्य
9.	Allowed personal pay in accordance with Govt. of India, Ministry of finance O.M. No. dated	भारत सरकार, वित मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. तारीख के अनुसार वैयक्तिक वेतन मंजूर किया गया।
10.	Promoted as and transferred to vide office order no. f.no. dated	कार्यालय आदेश सं. तारीख के अनुसार के पद पर पदोन्नत करके को स्थानान्तरित किए गए।
11.	Transferred to vide order no. dated ... F. No. के आदेश सं. तारीख (फाईल सं....) के अनुसार को स्थानान्तरित किए गए।
12.	Retired from service w.e.f. vide order No. dated के आदेश सं. तारीख के अनुसार ता. से सेवानिवृत्त किये गए।
13.	Nomination form "A" for DCR gratuity and form "B" for family pension scheme, 1964 have been revised and kept in safe custody.	मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का नामांकन फार्म "ए" तथा परिवार पेंशन योजना 1964 के फार्म "बी" में संशोधन कर लिया गया है और उन्हे सुरक्षित रख लिया है।
14.	Family pension @ Rs. w.e.f. and D.C.R. Gratuity Rs. w.e.f. lump sum have been found admissible to w/o late Shri	दिवंगत श्री की विधवा को ता. से रु. प्रति माह की दर से परिवार पेंशन तथा ता. से मृत्यु सेवा निवृत्ति उपदान की राशि एक मुश्त में देय मानी गई।
15.	Registered w.e.f. vide order no. dated.	के आदेश सं. तारीख के अनुसार तारीख से त्यागपत्र दे दिया।



वयुधेव कुरुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

कंठस्थ 2.0 (अनुवाद सारथी) का परिचय

कंठस्थ 2.0 ट्रांसलेशन मेमोरी तथा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित मशीन साधित अनुवाद प्रणाली है। इस अनुवाद सिस्टम से अनुवाद की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। स्मृति आधारित इस अनुवाद सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यूजर द्वारा किए गए अनुवाद कार्य को संग्रहीत किया जाता है जिसे किसी नई फाईल के अनुवाद के लिए पुनःप्रयोग किया जा सकता है। यदि अनुवाद की नई फाईल का वाक्य टी.एम. के डाटा बेस से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मिलता है तो यह सिस्टम उस वाक्य के अनुवाद को टी.एम. से खोज कर लाता है। यदि वाक्य का अनुवाद डेटाबेस में नहीं तो तो यह न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की सहायता से उस वाक्य का अनुवाद उपलब्ध करवाता है।

कंठस्थ 2.0 में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य शब्द

ट्रांसलेशन मेमोरी: ट्रांसलेशन मेमोरी वस्तुतः एक डेटाबेस है जिसमें स्रोत भाषा के वाक्यों एवं लक्षित भाषा में उन वाक्यों के अनूदित रूप को एक साथ रखा जाता है। यह दो प्रकार की होती है:

1. लोकल टी.एम.: यूजर के लॉगिन पर जो टी.एम. बनती है उसे लोकल टी.एम. कहते हैं। यह प्रोजेक्ट तथा फोल्डर के आधार पर संग्रहित होती है तथा प्रत्येक यूजर की अपनी अपनी टी.एम. होती है। अनुवाद के लिए सिस्टम का निरंतर प्रयोग करते रहने से टी.एम. का डेटाबेस बढ़ता रहता है।

2. ग्लोबल टी.एम.: यह टी.एम. कंठस्थ 2.0 के सेंट्रल सर्वर (राजभाषा विभाग द्वारा एन.आई.सी. की सहायता से हैदराबाद में स्थापित) पर संग्रहित होती है तथा वेटर द्वारा इस को सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इसी टी.एम. को ग्लोबल डेटाबेस भी कहते हैं तथा ग्लोबल टी.एम. प्रत्येक यूजर के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध रहती है।

3. पूर्णतः मिलान: जिन वाक्यों का अनुवाद करते समय सिस्टम पूर्णतः मिलान दिखाता है उन वाक्यों का स्कोर 100 आता है। इसका अर्थ यह है कि इस वाक्य का अनुवाद 100 प्रतिशत सही है।

4. आंशिक मिलान: जिन वाक्यों का 100 प्रतिशत मिलान नहीं होता है परंतु 1 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक के मध्य का मिलान उपलब्ध होता है तो उसे फुजी मेच या आंशिक मिलान कहते हैं। इस मिलान के प्रतिशत को यूजर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अथवा इसे हटा भी सकते हैं।

5. एन.एम.टी. (न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन): जब किसी वाक्य का अनुवाद ग्लोबल या लोकल टी.एम. से प्राप्त नहीं होता है तो यह न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की सहायता से उस वाक्य का अनुवाद उपलब्ध करवाता है।

6. स्रोत भाषा: जिस भाषा में फाईल अनुवाद के लिए अपलोड की जाती है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। कंठस्थ 2.0 पर हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा की फाईलें अनुवाद के लिए अपलोड की जा सकती हैं।

7. लक्षित भाषा : जिस भाषा में फाईल का अनुवाद किया जाता है उस भाषा को लक्षित भाषा कहते हैं।

8. मेन्यूबार-कंठस्थ : 2.0 के लॉगिन के बाद होम पेज पर ऊपर मध्य से दाहिनी ओर तक 8 बटनों का एक समूह है जिसे मेन्यू बार कहते हैं। इसमें इन्सट्रान्स, नोटिफिकेशन, शो.टी.एम., एनालिसिस, रिपोर्ट, डिक्सनरी, फीडबैक तथा लॉग आउट के बटन उपलब्ध हैं।

9. टूलबार : यह हर पेज पर अलग-अलग बटनों के साथ उपलब्ध है। जैसे होमपेज पर 2 टूल बटन, प्रोजेक्ट पेज पर 3 टूल बटन तथा फोल्डर पेज पर 11 टूल बटन के साथ उपलब्ध हैं।

10. एडिटर पेज : जिस पेज पर फाईल का अनुवाद कार्य किया जाता है उस पेज को एडिटर पेज कहते हैं यह किसी भी फाईल को डबल क्लिक करने पर खुल जाता है, तथा इस पेज पर कुल 21 टूल बटन दिये गए हैं। राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी की सहायता से अनुवाद के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए अगस्त 2018 में मॉरीशस में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर स्मृति आधारित अनुवाद 'टूल कंठस्थ' का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृहराज्य मंत्री द्वारा किया गया। वर्तमान आवश्यकताओं

को देखते हुए राजभाषा विभाग द्वारा इस का उन्नत संस्करण कंठस्थ 2.0 विकसित कर दिया हैं जिसका यू.आर.एल. <https://kanthasth-rajbhasha.gov.in> है।

कंठस्थ 2.0 के महत्वपूर्ण विन्दु

1. सभी डेटा राजभाषा विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सर्वर पर कूट रूप में संग्रहीत।
2. 20 एम.बी. तक की फाईल को अपलोड करने की सुविधा।
3. फाईल को विभाजित करने की सुविधा।
4. फाईल को शेयर करने की सुविधा (कंठस्थ सर्वर के माध्यम से तथा ई.मेल द्वारा)
5. यूजर द्वारा स्वयं की टी.एम.को बनाना अपनी टी.एम.को शेयर तथा डाउनलोड करने की सुविधा।
6. कार्य को सेव करने की सुविधा।
7. यूजर द्वारा अनुवाद के समय सर्वप्रथम अपनी टी.एम. से मिलान उपलब्ध करने की सुविधा।
8. डाक, डाक्स तथा एक्सेल की फाईलों को फॉर्मेट रिबिल्ड की सुविधा।
9. ग्लोबल डेटा मे डेटा भेजने की सुविधा (केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत तथा बैंकों के चयनित अधिकारियों द्वारा)
10. वाक्यांश खोजना।
11. फाईल का विश्लेषण जिसमें पूर्ण एवं आंशिक रूप से मिले हुए वाक्यों की संख्याएं कुल वाक्यों की संख्याएं कुल शब्दों की संख्या तथा अनूदित फाईल का प्रतिशत आदि बताना।
12. द्विभाषिक फाईल को डाउनलोड करना।
13. एक समय-विशेष में बनाए गए प्रोजेक्ट तथा अनुवाद की गई फाईलों की रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा।
14. प्रोजेक्ट, फोल्डर तथा फाईल बनाने/अन्य कंप्यूटर से प्राप्त करने/ कंप्यूटर पर भेजने की सुविधा।
15. विभिन्न फॉर्मेट जैसे टी.एक्स.टी, डाक, डाक्स, एक्स.एल.एस., एक्स.एल.एस.एस. आदि को अनुवाद के लिए अपलोड करने की सुविधा।
16. केवल यूनिकोड समर्पित फॉन्ट की सामग्री अपलोड करने की सुविधा।
17. निःशुल्क उपलब्ध।

कंठस्थ 2.0 की प्रमुख विशेषताएं

1. स्मार्ट चैट बॉट की सुविधा।
2. त्वरित अनुवाद की सुविधा।
3. प्राप्त सूचनाएं-अंतिम 10 उपलब्ध करवाता है।
4. विभिन्न फाईल-एक्सेस/फॉर्मेट (36 प्रकार) का समर्थन करता है।
5. न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का विकल्प।
6. ओटोमैटिक स्पीच रिकॉर्डिंग।
7. गुणवत्ता जाँच।

कंठस्थ 2.0 की कार्यप्रणाली

1. कंठस्थ 2.0 पर कार्य करने के लिए सर्वप्रथम हमे कंठस्थ 2.0 पर पंजीकरण कर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाना होता है।
 2. इसके बाद लॉगिन किया जाता है।
 3. लॉगिन के बाद होम पेज पर दो बार (एक मेन्यू बार तथा दूसरा टूल बार) दिखाई देते हैं।
 4. टूलबार की सहायता से प्रोजेक्ट बनाना होता है।
 5. प्रोजेक्ट बनाने के बाद फोल्डर बनाया जाता है तथा फोल्डर बनाने समय ही उसमें फाईल को अनुवाद के लिए अपलोड कर दिया जाता है।
 6. फाईल पर डबल क्लिक कर एडिटर पेज पर अनुवाद कार्य किया जाता है।
- किसी अन्य तकनीकी सहायता के लिए तकनीकी कक्ष, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के ई-मेल आईडी techcell-011@nic.in या फोन पर 011-23438150 संपर्क कर सकते हैं।



इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण



दिनांक 03.03.2023 को इस्पात मंत्रालय के श्री साकेश प्रसाद सिंह, मुख्य लेखा नियंत्रण एवं राजभाषा प्रभारी का मॉयल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात मंत्रालय के राजभाषा प्रभारी श्री साकेश प्रसाद सिंह एवं श्री सौरभ आर्य, हिंदी अनुवाद अधिकारी द्वारा मुख्यालय में हिन्दी में किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान मुख्यालय से महाप्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।



दिनांक 04.03.2023 को इस्पात मंत्रालय के निरीक्षण दल द्वारा कान्द्री खान के हिन्दी कार्य का निरीक्षण श्री साकेश प्रसाद सिंह, मुख्य लेखा नियंत्रण एवं राजभाषा प्रभारी एवं श्री सौरभ आर्य, हिंदी अनुवाद अधिकारी द्वारा खान कार्यालय में किया गया। जिसमें मनोज मोंडे (खान प्रबंधक), श्रीमती पूजा वर्मा (राजभाषा अधिकारी), श्री ललित अरसडे (कनिष्ठ प्रबंधक (का.)), अनिल घरडे (हिंदी अनुवादक), प्रवीण गजभिये (आशुलिपिक) उपस्थित थे।



दिनांक 04.03.23 को मनसर खान (मॉयल लिमिटेड) एवं डॉंगरी बुजुर्ग कार्यालय का श्री साकेश प्रसाद सिंह, मुख्य लेखा नियंत्रक, एवं राजभाषा प्रभारी श्री सौरभ आर्य, हिंदी अनुवाद अधिकारी इस्पात मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा हिंदी में किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। अतिथियों का स्वागत श्री रमन कुमार शर्मा (यांत्रिकी विभाग प्रमुख), श्री नितिन दुधे (नागरी विभाग प्रमुख), श्री प्रमोद जामठे (कार्मिक विभाग प्रमुख) एवं श्री अनिल टेम्हूरकर (प्रबंधक यांत्रिकी) इनके द्वारा किया गया तत्पश्चात अधिकारियों ने हिंदी से सबंधित कार्यालयीन कार्यों को निरीक्षण किया। इसके उपरांत अधिकारियों ने भूमिगत खनन क्षेत्र का दौरा किया। इस खनन की विस्तृत जानकारी देने हेतु स्वयं अभिकर्ता एवं उप महा प्रबंधक समूह-3, श्री उमाकांत भुजाड़े, खान प्रबंधक श्री मनीष ढोके एवं अंडर ग्राउंड प्रबंधक श्री उदित बोथरा उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यालय से श्रीमती पूजा वर्मा भी उपस्थित थी।

दिनांक 25 अप्रैल 2023 को श्रीनगर में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन



दिनांक 25 अप्रैल 2023 को इस्पात मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माननीय इस्पात एवं ग्रामीण राज्य मंत्री, सचिव, अपर सचिव, लेखा नियंत्रक, संयुक्त सचिव, हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य सभी उपक्रम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।

रिश्ता चंदन होता है



राजेश श्रीवास्तव
उप निदेशक, सा.भा. विभाग
गृहमंत्रालय

हर रिश्ता तब महकता चंदन होता है
जब दिल से दिल का मधुर बंधन होता है।

तन्हाइयों से कभी पूछ कर देखिए
खामोशियों में कैसा क्रेंदन होता है।

जाने कब खफा हो जाएं किसको पता
साँसों का काया से गठबंधन होता है।

अंतिम समय दागने वाला आपको
अपना ही तो आपका नंदन होता है।

माँ



है दूआये नाराज हो या फिर दुलार करती मिले
शाम को मैं घर लौटूं तो माँ इंतजार करती मिले।

खुद ही मारे खुद ही रोए भीगे नैनों से दुलारे फिर
सीने से लिपटा कर बाँहों में भरकर प्यार करती मिले।

रूप है वो भगवान का, भगवान में उसका रूप है
घर के मंदिर में रोज वो मंत्रोच्चार करती मिले।

हर दिन दवाएं मेज पे यूँ ही धरी की धरी रहें
हाथ से अपने रोज वो काढ़ा तैयार करती मिले।

लेकर आ गए



धन दौलत बंगला मकान लेकर आ गए
दिल में कितने हम अरमान लेकर आ गए।

मेरे दिल को समझ पाए हो न दर्द को कभी
दो लफजों पर लेकर आ गए।

आत्मा की खबर है ना मिला परमात्मा
हम तो बस जिस्म का मकान लेकर आ गए।

हम बनाते ही रह गए हसरतों के महल
उम्र के सैनिक फरमान लेकर आ गए।

रिश्ते सारे न ढूब जाएं इसमें ही कहीं
दिल में हम ये कैसा तूफान लेकर आ गए।

इस गुरुर इस अहंकार से बचकर रहना
धरती पर कितने आसमान लेकर आ गए।

सवाल करते हैं



आप भी कैसा ये कमाल करते हैं
वंशज नदी के नद पर सवाल करते हैं।

बौने होकर कद पर सवाल करते हैं
दूब हैं बरगद पर सवाल करते हैं।

अपनी सीमा रेखा तो तय नहीं करते
दूसरों की हृद पर सवाल करते हैं।

लोग खुद को महसूस करते हैं बौना
और मेरे कद पर सवाल करते हैं।

दूब रह जाना ही है जब भाग्य उसका
फिर क्यूँ बरगद पर सवाल करते हैं।



डॉ. प्रणव शास्त्री

हिन्दी गलाहकार समिति सदस्य,
इस्पात मंत्रालय

आचार्य द्विवेदीजी का महावीरत्व



हिन्दी-साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदीजी की सबसे बड़ी देन बौद्धिकता की अधिकाधिक प्रतिष्ठा थी। उन्होंने आकाश कुसुमों के गुलदस्ते बनाना कभी उचित नहीं समझा। उनके समक्ष साहित्य-रचना का जन परक आदर्श विद्यमान था, जिसमें युगानुरूप बौद्धिकता, सुधारवाद, अंतर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता आदि सभी आवश्यक तत्व समाविष्ट थे। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मराठी आदि अनेक भाषाओं के अनुशीलन ने द्विवेदीजी के साहित्य-दर्शन को अत्यन्त व्यापक भूमिका प्रदान कर दी थी। अपने विराट् अध्ययन, अपने अपूर्व त्याग, अपने असाधारण प्रभाव-संप्रेषण तथा अपने अनवरत अध्यवसाय के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के वास्तविक प्रतिष्ठापक बन गए। उन्होंने गद्य को निर्दिष्ट रूप प्रदान किया, खड़ी बोली-कविता का आचार्यत्व किया, गद्य-पद्य की दूरी कम की तथा साहित्य को जीवन का प्रेरक और उपयोगी तत्व बना दिया। सुधार-वादी युग गद्य को जन्मभर दे पाया था। उसे सुदृढ़, व्यवस्थित एवं समर्थ व्यक्तित्व आदर्श वादी युग में ही प्राप्त हुआ। द्विवेदी ने भाषा को व्याकरण-सम्मत, परिष्कृत एवं व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसे गंभीर-से-गंभीर भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त कर सकने में समर्थ बनाया। स्वभावतः वह पूर्ववर्ती जनयुग की तुलना में कुछ कठिन हो गई। 'भारतेन्दु-युग' शीर्षक छोटे किन्तु महत्व पूर्ण ग्रन्थ में हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक राम विलास शर्मा ने द्विवेदी पर अस्वाभाविक उच्चारण की प्रतिष्ठा का आरोप लगाया है। ऐसा ही आरोप फिराक गोरख पुरी लगाते हैं। यह आरोप न तल स्पर्शी है, व वास्तविक, क्योंकि साहित्य का उच्चारण शत-प्रतिशत जनता का उच्चारण न कभी और कहीं हुआ है, न होगा, न वह संसार-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ जन कवि तुलसी दास में ऐसा है, न भारत के सर्वोत्तम जन कथाकार प्रेम चन्द में। साहित्य जनता को, उसकी अनुभूतिको, उसकी अभिव्यक्ति को प्रेरणा देता है, जनता का अक्षरशः अनुकरण नहीं करता। वह जनता से दूर हो, यह अभीप्सित है, किन्तु, वह जनवादिता के राजनैतिक सौदेबाजी का माध्यम बन जाए, यह अभिशाप है। जनवादिता के अतिरिक्त को छोड़कर साहित्य की भाषा का स्तर गिराना किसी को नहीं भाता। द्विवेदी साहित्य को जनता के निकट लाने के सबसे बड़े समर्थक थे। 'रसज्ञ-रंजन' के लेख इसके प्रमाण हैं। प्रसाद आदि की रोमैन्टिक कविता का विरोध उन्होंने अस्पष्टता के कारण ही किया था। उनके प्रमुख शिष्य मैथिली शरण गुप्त


आधुनिक भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इस स्थिति में द्विवेदी के साथ अस्वाभाविक उच्चारण की चर्चा आधारहीन प्रतीत होती है।

द्विवेदीजी ने गद्य को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाकर कविता के क्षेत्र में भी आचार्य का पद प्राप्त किया। भाषा एवं साहित्य दोनों को रूप प्रदान करने का जो कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, वह उन्हें संसार-साहित्य में अभूतपूर्व स्थान प्रदान कर देता है। कतिपय सज्जन उन की तुलना अंग्रेजी के विख्यात साहित्य-निर्माता एवं युग-पुरुष जॉन्सन से करते हैं: उनको 'हिन्दी का 'जॉन्सन'' कहते हैं। जॉन्सन में प्रतिभा, द्विवेदी से बहुत अधिक थी। मौलिकता की दृष्टि से भी जॉन्सन द्विवेदी से आगे हैं। अपने युग को प्रभावित करने की दृष्टि से दोनों समान रूप से महान् हैं। किन्तु, जॉन्सन को भाषा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, जबकि द्विवेदी को बहुत दूर तक भाषा का रूप भी निर्धारित करना पड़ा था। दूसरे, जॉन्सन को गद्य अधिक व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुआ था। तीसरे, इंग्लैण्ड में अंग्रेजी विरोध, अन्तविरोध एवं राजनीतिकों दाँवघातों से मुक्त थी। द्विवेदी को इन सब का भी सामना करना पड़ा था। अतएव, द्विवेदी का कार्य जॉन्सन के कार्य से अधिक कठिन था। वे एक साथ युग-प्रवर्तक, युग-गुरु, युग-संचालक और युग-प्रेरक थे। वे साहित्यकार के रूप में नहीं, साहित्य-निर्माता के रूप में अमर हैं। उनके साहित्य का मूल्य तो विशेष है ही, उनकी प्रेरणा भी चिरन्तन है।

सारात: यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी की हिन्दी कविता का जन्म अतीत स्तवन, वर्तमान के प्रति रोदन एवं भविष्य के लिए संघर्षों के आदेश के साथ हुआ। बीसवीं शताब्दी के पूर्व भारतेन्दु ने इस समग्र प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया था। कालान्तर में महावीर प्रसादी द्विवेदी ने इनका नेतृत्व किया। मैथिलीशरण ने इनको अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रसाद ने इनको कला का भव्य रूप दिया। भारतेन्दु आधुनिक काल के जनक थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी निर्माता, मैथिलीशरण राष्ट्रकवि, प्रसाद श्रेष्ठतम कलाकार।

संदर्भ :-

1. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास : गुलाबराय
2. भारतीय काव्यशास्त्र : डॉ. रामानन्द शर्मा
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ. नगेन्द्र
4. आलोचना सागर : डॉ. रामप्रसाद मिश्र



कवि
राधाकांत पाण्डेय

संसद भवन

विश्व के सर्वाधिक प्राचीन एवं महान लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का भव्य एवं दिव्य नवीन भवन अनेक कारणों से वर्तमान में चर्चा के केंद्र में रहा। पिछले 28 मई 2023 को सावरकर जयन्ती के सुअवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नवीन संसद भवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया गया। यूँ तो यह अवसर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सवों में से एक होना चाहिए था किंतु कुछ विपक्षी दलों के बहिष्कार ने इस रंग में भी भंग डालने का भरपूर प्रयास किया।

वर्तमान दौर में जब राजनीतिक शुचिता एवं परस्पर सद्भाव अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है तब यह बात भी बेर्इमानी ही है कि इस दौर में कोई भी कार्य बिना आरोप-प्रत्यारोप या नाटकीयता के संपन्न होगा। वैसे भी सर्वत्र नवाचार के इस नये दौर में अपने अस्तित्व को पुष्ट करने में जुटे विपक्ष द्वारा इतना नवाचार पूर्व अनुमानित था। बहरहाल इन दिनों घटे इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ बुद्धिजीवियों का यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है, कि इस तरह के अवसर पर मीन-मेष निकालने की यह परम्परा उचित नहीं है खासतौर पर किसी पार्टी विशेष द्वारा नवीन संसद भवन की संरचना को ताबूत कहकर राजनीतिक खिलता प्रकट करना राजनीति की तलहटी पर फिसलन को ही दर्शाता है।

वास्तव में भारत वर्ष की मूल आत्मा लोकतंत्र है जो अब तक आस्था एवं विश्वास की धमनियों में रक्त बनकर प्रवाहित हो रहा है। लोकतंत्र के प्रति हमारा पवित्र भाव अनादिकाल से रहा है। जिसका शास्वत प्रमाण विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद सहित अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में चालीस एवं अथर्ववेद में नौ

बार किया गया है। वहीं अन्यादि ग्रन्थों में भी इसके अनेक बार प्रयोग किए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य में अनेक बार उपयोग किए जाने से यह बात प्रामाणिक होती है कि प्राचीन भारत में शासन सत्ता के मूल में लोकतंत्र का ही पुण्य भाव समाहित है।

आत्मा हर्षिमंतरेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचलि: विशरत्वा सर्वा वांछतु मात्वधं राष्ट्रमदि भ्रशत। (ऋ. 10 - 174 - 1)

ऋग्वेद के उक्त सूत्र में राष्ट्र के शासक के चयन हेतु इंगित किया गया है। जहां दैवीय पंचदेव एवं विद्वत् जन मिलकर राजा का चयन करते थे। देवताओं का राजा इंद्र कोई व्यक्ति नहीं अपितु पद के रूप में वर्णित है।

इसी प्रकार वैदिक परंपरा, महाभारत काल एवं कालांतर में बौद्धकाल के समय भी भारत वर्ष में अनेक चर्चित गणराज्य हुए हैं। उदाहरण स्वरूप पिप्ली वन के मौर्य, कुशीनगर एवं काशी के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला विदेह इत्यादि का नाम लोकतंत्र की समृद्ध परम्परा के रूप में लिया जा सकता है। वैशाली के प्रथम राजा विशाल का चयन भी चुनाव से किए जाने की बात कही जाती है। वहीं महान अर्थशास्त्री कौटिल्य के अनुसार गणराज्य दो प्रकार के होते हैं। जिसमे से प्रथम आयुध अर्थात् ऐसा गणराज्य जिसमें निर्णय लेने का सर्वाधिकार एकमात्र राजा के पास होता है वहीं दूसरा श्रेणी गणराज्य है। जिसमें निर्णय प्रक्रिया में सभी सहभागी होते हैं।

कौटिल्य से पूर्व पाणिनी ने भी कुछ गणराज्यों का वर्णन अपने व्याकरण में किया है। पाणिनी की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया गया है, जिनकी शासन

व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। वक्त प्रमाण के पश्चात यह कहना अतिसंयोक्ति नहीं होगी कि यूनान ने हमसे ही लोकतंत्र का पवित्र भाव ग्रहण किया। हमारे पवित्र ग्रन्थों में लोकतंत्र के मंदिर को स्वर्ग की संज्ञा दी गई है जो देवताओं की सर्वोच्च राजसभा के रूप में भी विख्यात है। इसीलिए इसकी भव्यता, दिव्यता एवं श्रेष्ठता भी अवर्णीय कही गई है। आज विश्व भर में भारत ने एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। सर्वत्र नवीन अनुप्रयोग हो रहे हैं, यहां तक कि देश के सूदूर ग्रामीण अंचलों में डिजिटल क्रांति और नई-नई तकनीकियां पहुंच गई हैं, तो क्या ऐसे में लोकतांत्रिक गरिमा की दृष्टि से देश की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसद का आधुनिकीकरण आवश्यक नहीं था?

एक ओर हम महाशक्ति बनने और भौतिक रूप से अत्यंत वैभवशाली यूरोपीय देशों की बराबरी को सदैव लालायित रहते हैं तो फिर केवल सत्ता पक्ष का विरोध करना है इस उद्देश्य मात्र से विरोध कहाँ की बुद्धिमत्ता है। आधुनिक भारत के प्रतिनिधिकर्ता माननीय सांसद गणों को तकनीकी दृष्टि से अत्यंत सक्षम और समर्थ एक अत्याधुनिक संसद भवन की आवश्यकता लंबे समय से थी, जिसका उल्लेख भी आज विरोध में लामबंद हुई पूर्ववर्ती सरकारों सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अनेक अवसरों में किया था। विरोध करने वाले राजनीतिक दल मन ही मन क्या इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इतने कम समय में जिस गति एवं अद्वितीय शिल्प द्वारा इस भवन की संकल्पना को साकार रूप दिया गया है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। वास्तव में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ इस विषय में विचार करें तो यह हमारे आत्म-गौरव एवं आत्म-निर्भर भारत का प्रमाण प्रस्तुत करता हुआ नवीन भवन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था व विश्वास को और मजबूती प्रदान करेगा। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर चुका है इन 75 वर्षों में देश के विकास की यह अनवरत यात्रा मजबूत इच्छा शक्ति और हमारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है। 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के रूप में यह नवीन संसद भवन भारत की समृद्धि परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य एवं विविधता में भी एकता के मनमोहक स्वरूप का दर्शन मात्र है। पूरे विश्व के लिए हमारा यह आधुनिक संसद भवन एक आदर्श होगा जो ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ ही भूकंप विरोधी तकनिकी से बना हुआ, पेपरलेस सचिवालय और अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। इस नये संसद भवन के चारों ओर विश्व स्तरीय भूदृश्य के साथ ही यह भवन

आधुनिक आड़ियो-विजुअल संचार सुविधाओं के साथ-साथ डाटा नेटवर्क प्रणाली से भी पूरी तरह सुसज्जित है। लगभग 971 करोड़ की लागत से 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया यह चार मंजिला भवन आने वाले सौ वर्षों की जरूरतों को पूरा करने में हर प्रकार से सक्षम है। त्रिभुजाकार इस संसद भवन के अंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकार का लोकसभा सभागार एवं राष्ट्रीय पुष्प कमल की तरह राज्य सभा का सभागार किसी को भी सम्मोहित करने वाला है। इस नये भवन में राज्यसभा, लोकसभा के सभागार के अतिरिक्त सेंट्रल लाउंज एवं संवैधानिक प्राधिकारियों के कार्यालयों सहित कुल 120 कार्यालय भी सम्मिलित किए गए हैं। नवीन भवन में सभी सांसद साथियों के अध्ययन हेतु लाइब्रेरी, लॉज, डाईनिंग एरिया के साथ-साथ आधुनिक तकनिक का पार्किंग क्षेत्र भी बनाया गया है। जिससे सम्मानित सदस्यों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाये गए इस भवन में एक बड़ा कंस्टीट्यूशन हॉल भी बनाया गया है जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत के अद्भुत दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं।

हम सभी का पूर्व से ही दृढ़ मत रहा है कि नवीन विचारों और तकनीकी का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन पुरातन का सम्मान करना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। इसीलिए नवीन संसद भवन के साथ ही पुराने संसद भवन का सार्थक उपयोग सुनिश्चित किया गया है। यह अत्यन्त प्रशंसनीय है। अब से यह दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। वास्तव में इस भवन निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी कामगार, कुशल कारीगर एवं संबंधित सभी अधिकारी भी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। दरअसल एक कहावत है कि दृष्टि बदल ली जाए तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हम किंचित स्वार्थ वश अनेक अवसरों में अपने आसपास इतना संकीर्ण दायरा बना लेते हैं कि हमें यथार्थ और सकारात्मकता दृष्टिगत ही नहीं होती।

पक्ष-विपक्ष हमेशा से रहे हैं किंतु अतिवाद वर्तमान जैसा कभी नहीं रहा। जिस दिन सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष अपने-अपने अहंकार को त्याग कर राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विश्व के सम्मुख भारत का सही रूप में प्रतिनिधित्व करने लगे, अपने पुरातन परिपाटी के आदर्श का स्वाभाविक नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण कर पाये वही कालखंड स्वर्णिम भारत का श्री गणेशा होगा।



अमित कुमार सिंह
मुख्य प्रबंधक (कार्मिक)

एक शांत क्रांति चल रही है, जो थोड़ा ध्यान आकर्षित कर रही है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। इस साल जनवरी में, यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर लगभग 200 बिलियन डॉलर के लगभग आठ बिलियन लेनदेन किए गए थे।

छोटे से छोटे लेन-देन के लिए भी डिजिटल भुगतान किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत को छोटे या सूक्ष्म भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया है: एक कप दूध चाय के लिए 10 ₹ या ताजी सब्जियों के एक बैग के लिए 200 ₹। लंबे समय से नकदी से चलने वाली अर्थव्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक बदलाव है।

भारत ने एक स्वदेशी तत्काल भुगतान प्रणाली का निर्माण किया है जिसने वाणिज्य को नया रूप दिया है और लाखों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में खींचा है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की नींव सरकार द्वारा रखी गई थी और इसे एक मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा बनाया गया था। पिछले साल भारत में तत्काल डिजिटल लेनदेन का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की तुलना में कहीं अधिक था। इसने दैनिक जीवन को और अधिक सुविधा जनक बना दिया है, भारत के लाखों लोगों के लिए क्रेडिट और बचत जैसी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है।

इस नेटवर्क के साथ, भारत ने पहले के अनदेखे पैमाने पर दिखाया है कि कैसे तेजी से तकनीकी नवाचार विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छलांग लगा सकता है। यह एक सार्वजनिक-निजी मॉडल है जिसे भारत निर्यात करना चाहता है क्योंकि यह विचारों के इनक्यूबेटर के रूप में फैशन है जो दुनिया के गरीब देशों को ऊपर उठा सकता है। इस पहल के केंद्र में प्रसिद्ध JAM त्रिमूर्ति-जन धन खाते, आधार और मोबाइल-तीन स्तंभ हैं जिन्होंने भारत के संपूर्ण आर्थिक पारिस्थिति की तंत्र में क्रांति ला दी। पहला स्तंभ, पीएम जन धन योजना वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि प्रत्येक वयस्क भारतीय के लिए बैंक खाते तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 2022 तक, 46.25 करोड़ बैंक खाते

एकीकृत भुगतान इंटरफेस की क्रांति

खोले गए हैं, जिनमें 56% महिलाओं से संबंधित हैं और 67% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जिनकी राशि 1,73,954 करोड़ रुपये है। आधार के दूसरे स्तंभ ने पहचान सेवाओं को बदल दिया। आधार आईडी काल उपयोग दो-कारक प्रमाणीकरण या बायोमेट्रिक आईडी के माध्यम से डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए किया जा सकता है। आधार आधारित प्रमाणीकरण बैंकों और दूरसंचार कंपनियों जैसे संस्थानों के लिए एक संबल बन गया है। आज, 99 प्रतिशत वयस्कों के पास बायोमेट्रिक पहचान संख्या है, जिसमें 1.3 बिलियन से अधिक आईडी जारी की गई हैं। आईडी ने बैंक खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान की और तत्काल भुगतान प्रणाली की नींव बन गई।

तीसरा स्तंभ मोबाइल का है, जो भारत के दूरसंचार क्षेत्र में कोर डिजिटल इनोवेशन को प्रदर्शित करता है। 2016 में एक निजी कंपनी के विघटनकारी प्रवेश के बाद, डेटा की लागत में 95% की गिरावट आई।

इसने हर भारतीय को कम कीमत और इंटरनेट तक आसान पहुंच प्रदान की। इसने ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और ओटीटी कंटेंट जैसे वर्टिकल को भारत में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने डिजिटल भुगतान प्रणाली को भारत के अंतिम और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया।

भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम, यूनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और Pay Now उपयोग करके क्रॉस-बॉर्डर लिंकेज लॉन्च किया है। UPI & PAY Now लिंकेज किसी भी देश में दो तेज भुगतान प्रणालियों के उपयोग उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक, सुरक्षित, तत्काल और लागत प्रभावी सीमा पार धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है। केवल यूपी आई आईडी, मोबाइल नंबर, या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके भारत से/को फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। यह इंटरलिंकेज तेजी से, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान चलाने की जी-20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ सरेखित है और भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।



आशिष सूर्यवंशी
वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक)

जीवन एक उत्साह.....

एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार व युद्ध-कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में वह भेजा गया था और वह राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था। इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था।

समय गुजरता गया.... और एक समय ऐसा भी आया, जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था। इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे।

एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धूँस गया और फिर धूँसता ही चला गया।

उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंधाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फँसने का समाचार राजा तक भी पहुँचा।

राजा समेत सभी लोग हाथी के आस पास इक्कठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न, उसे निकालने के लिए करने लगे।

लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तब राजा के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि तथागत गौतम बुद्ध मार्गक्रमण कर रहे हैं तो क्यों ना तथागत गौतम बुद्ध से सलाह मांगी जाये।

राजा और सारा मंत्री मंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गये और अनुरोध किया कि आप हमें इस बिकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें।

तथागत गौतम बुद्ध ने सबके अनुरोध को स्वीकार किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएँ।

सुनने वालों को विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फँसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा, जो अनेक व्यक्तियों के शारीरिक प्रयत्न से बाहर निकल नहीं पाया।

आश्चर्य जनक रूप से जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृतप्राय हाथी के हाव-भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे-धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रभ करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया।

अब तथागत गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह को संचार करने की थी।

हाथी की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह उमंग जाए तो फिर हमें कार्य करने की ऊर्जा स्वतः ही मिलने लगती है और कार्य के प्रति उत्साह का मनुष्य की उम्र से कोई संबंध नहीं रह जाता।

कभी कभी निरंतर मिलनेवाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सूचना सच नहीं है।

जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे।



पूजा वर्मा
राजभाषा अधिकारी



संयुक्ता दास
प्रबंधक (कार्मिक)

कविता

न चादर बड़ी कीजिये,
न खाहिशें दफन कीजिये,

चार दिन की जिंदगी है ,
बस चैन से बसर कीजिये..

न परेशान किसी को कीजिये,
न हैरान किसी को कीजिये,

कोई लाख गलत भी बोले,
बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए ..

न रुठा किसी से कीजिये ,
न झूठा वादा किसी से कीजिये,

कुछ फुरसत के पल निकालिये,
कभी खुद से भी मिला कीजिये....

क्या होती हैं “माँ”

माँ वो होती हैं, जिसमें ममता का निर्झर बहे,
जो आंचल से मुझे ढके, और खुद धूप सहे।

जो मेरी एक पुकार पर दौड़ी चली आती है
माँ वो होती हैं।

जिसको थपकियों में आज भी मेरी नींद समा जाए
जिसके सीने की गरमाहट से मन फिर बच्चा हो जाए,

भूख मुझे लगे तो वो तड़पती है
पेट मेरा भरे और जो तृप्त होती हैं, माँ वो होती हैं।

जिसकी फटकार में फिक्र हैं,
जिसकी बातों में मेरा ही जिक्र हैं, माँ वो होती हैं।

आईने में नहीं, मुझमें खुद को देखा
किया संस्कारों में तपाकर, मुझे कुंदन-सा किया।

कभी डांटती हैं तो कोने में छुपकर रोती हैं,
मुझे सुलाए बगैर कहा वो सोती हैं, माँ वो होती हैं।

जो मैं बिखर जाऊं, तो मुझे समेट लेती हैं,
कभी मेरी गुरु, तो कभी संगिनी हैं

मेरी हार या जीत नहीं, जो मेरी
कोशिश देखती हैं, माँ वो होती हैं।

कुछ यादगार पल



कुछ यादगार पल



कुछ यादगार पल



कुछ यादगार पल



कुछ यादगार पल





सबसे बड़े पुरस्कार की अंतहीन तलाश

अमेरिका के छब्बीसवें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट (जो 1906 का शांति का नोबेल जीतकर यह पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी भी बने थे) ने 1903 में मजदूर दिवस के अपने बहुचर्चित संबोधन में मजदूरों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी: मनुष्य के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो वह है, ऐसा काम करने का मौका, जिससे उसकी जीविका भी चले और महत्ता भी बढ़े।

लेकिन अफसोस है, कि उनके उक्त संबोधन के 120 साल बीत जाने के बाद की दुनिया में भी बड़ी संख्या में मजदूर इस “अपने जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार” से वंचित हैं, इतना ही नहीं, वे इस पुरस्कार की अंतहीन तलाश में सिर खपाते रहने को तो मजबूर हैं और, निकट भविष्य में इस मजबूरी के अंत की कोई उम्मीद भी नहीं कर पा रहे।

दूसरी ओर कुछ विकसित देशों में उनकी एक छोटी-सी संख्या इस सुखद अहसास के बहुत नजदीक पहुंच गई है कि उसने अच्छे पद, प्रतिष्ठा, वेतन, घर और लग्जरी गाड़ियों समेत अपने सारे सपने पूरे कर लिये हैं। जैसा कि बहुत स्वाभाविक है, पूँजी के लिए सारी सीमाएँ तोड़ने और श्रमिकों के लिए नई सीमाएँ बनाने के इस दौर में इन देशों की मजदूर विरोधी व्यवस्थाएं मजदूरों की उक्त छोटी-सी संख्या को उनकी एकता खंडित कर “मजदूरों के ही मार्फत मजदूरों के शोषण” के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अनेक पिछड़े देशों की लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आई और लोकप्रिय होने का दावा करने वाली सकारें भी आम मजदूरों के प्रति अनुदार होने से परहेज नहीं कर पा रही वे भी

आर्थिक सुधारों के नाम पर श्रमिक हितों का बंटाढार कर रही और निवेशकों को अंथाधुंध सहूलियतें देकर उनके हित साध रही हैं। इस काम में उनका सबसे बड़ा बहाना तकनीक का विश्वव्यापी बदलाव है, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के काम करने के पुराने प्रायः सारे कौशल बेकार करार दिए गए हैं और उनके जिस छोटे से हिस्से ने जरूरी बताए जा रहे कुछ नए कौशल अर्जित कर लिए हैं उसकी मार्फत कुशलता और अकुशलता की कथित लड़ाई को तेज कर दिया गया है।

इस लड़ाई के माध्यम से कुशल और अकुशल मजदूरों के बीच बड़ी खाई पैदा कर इस हकीकत को झुठलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि आम मजदूर अभी भी बेरोजगार रहने, बेहद कम मजदूरी पर काम करने और अपने काम से संतुष्टि या महत्ता न पाने को अभिशप्त है। अविकसित या विकासशील देशों ही नहीं, धनी देशों में भी बेरोजगारी की ऊँची दरें हालात के दूसरे पहलू को बेपर्दा करके रख देती हैं, जिससे साफ होता है कि नई विश्व व्यवस्था और उसके नीति-निर्माता दुनिया में कही भी गरीब और कमज़ोर तबके के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं।

तभी तो नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस का कहना है कि रोजगार नई तकनीकों की वजह से भी कम हो रहे हैं, लेकिन भूमंडलीकरण का वर्चस्व और कल्याणकारी नीतियों का अभाव ही इसका सबसे बड़ा कारण है। यकीनन, भूमंडलीकरण ही उन ढांचागत सुधारों के आड़े आता है, जिनकी मदद से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते और शक्तियों व संसाधनों का मजदूर विरोधी संकेन्द्रण रोका जा सकता है। इन सुधारों की अनुपस्थिति

में ऐसे प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध कराए जा पा रहे, जिनके बिना पर मजदूरों की नई पीढ़ियां पुराने कौशलों के बेकार हो जाने की चुनौतियों का सामना कर सकें और अकुशल व कुशल मजदूरों के बीच की खाई पाटी जा सके।

अपने देश की बात करें तो मजदूर विभिन्न श्रेणियों के आधार पर बुरी तरह विभाजित होकर अपनी ही श्रेणी की उपलब्धियों के लिए चिंतित रहने लगे हैं, जिससे सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन के हिरावल दस्ते के रूप में उनकी कोई भूमिका ही नहीं बची है। जिस पर उनकी मजदूर पहचान पर कई दूसरी संकीर्ण पहचानें हावी हो गई हैं, जिसके कारण सत्ता प्रतिष्ठान उनका कोई वर्गीय दबाव महसूस नहीं करता।

कितना क्या आश्चर्य कि हमारे देश में, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है, मजदूर दिवस पर सार्वजनिक अवकाश तक नहीं होता और मजदूर चेतना का ऐसा अभाव है कि अनेक मजदूरों को यह तक मालूम नहीं कि 19 वीं शताब्दी के नवें दशक तक मजदूर प्रायः सारी दुनिया में अत्यंत कम व अनिश्चित मजदूरी पर 16-16 घंटे काम करने को अभिशप्त थे। 1810 के आसपास ब्रिटेन में उनके सोशलिस्ट संघटन 'न्यू-लेनार्क' ने राबर्ट ओवेन की अगुआई में अधिकतम दस घंटे काम की मांग उठाई और उसके छह-सात सालों बाद आठ घंटे काम पर जोर देना शुरू किया, तो नारा था- 'आठ घंटे काम, आठ घंटे मनोरंजन और आठ घंटे आराम' उसके संघर्षों के बाबजूद 1847 तक मजदूरों की राह सिर्फ इतनी आसान हो पाई थी कि इंग्लैंड के महिला व बाल मजदूरों को अधिकतम दस घंटे काम की स्वीकृति मिल गई थी। ऑस्ट्रेलिया में 21 अप्रैल, 1856 को स्टोन मेशन और मेलबोर्न के आसपास के बिल्डिंग कर्मचारीयों ने आठ घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल और मेलबर्न विश्वविद्यालय से पार्लियामेंट हाऊस तक प्रदर्शन किया, तो 1866 में जेनेवा कन्वेशन में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन ने भी इस हेतु अपनी आवाज बुलंद की।

लेकिन, निर्णायक घड़ी एक मई 1886 को आई, जब पुलिस की गोली से मेकार्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी संयंत्र में चार हड़तालियों की मौत के अगले दिन अमेरिका के शिकागो स्थित हेमार्केट स्क्वायर में हड़ताली मजदूरों ने विराट प्रदर्शन किया और वहां की पुलिस, नेशनल गार्ड व घुड़सवार दस्ते गोलीबारी समेत ऐसे बर्बर दमन पर उतर आये कि धरती मजदूरों के रक्त से लाल हो गई। तदुपरांत, उस संघर्ष की याद में हर साल एक मई

को मजदूर दिवस मनाने का चलन शुरू हुआ तो इस दिन को श्रम को पूँजी की सत्ता से मुक्ति दिलाने उसकी गरिमा को पुनर्स्थापित करने और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की चेतना जगाने का दिन बनते देर नहीं लगी। भारत में यह दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1923 में भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता काम रेड सिंगरावेलू चेट्यार की पहल पर मनाया गया। आज पूरी दुनिया में न सिर्फ आय की असमानता बल्कि उसके चलते बढ़ रहे सामाजिक तनाव और असंतोष का भी बोलबाला है। फिर भी मजदूर दिवस की मूल भावना के विपरीत श्रम को व्यक्तिगत उपलब्धियों से जोड़ा जा रहा है और उस सोच को सिरे से खत्म किया जा रहा है, जो समाज के लिए श्रम करने और सामूहिकता की प्रवृत्ति के विकास में सहायक हो। इसलिये मजदूर आज भी सबसे बड़े पूरस्कार की अंतहीन तलाश में है।



हेमलता
विशाल साखरे
आशुलिपिक



हिन्दी और अंग्रेजी

हिन्दी में करें बात तो, मुख्य समझे जाते हैं,

और जब बोल ले अंग्रेजी के दो शब्द,
तो जेंटल मैन हो जाते हैं,

अंग्रेजी का है भूत चढ़ गया,
हिन्दी का सफर तो जैसे छूट ही गया,

छुट रही कोने में हिन्दी,
जान इस की बचा लो,

मर रही अंग्रेजी से हिन्दी, सफर इसका तुम जगमगा दो,

कहते हो खुद को तुम हिन्दू,
फिर बोलने में काहे शर्माओं तुम,

बोली है अपनी हिन्दी, इसे बोलने में ना शर्माओं तुम।



रामअवतार देवांगन
महामंत्री, मौयल कामगार संघठन



हिंदी की बहुआब्धार जीत

बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का पहला सार्वजनिक आव्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो महाराष्ट्र से आते थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधीवादी नेता पट्टभिं सीतारमैया तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए किसी हठ योगी की तरह अड़ गए थे।

किस्सा बड़ा प्रेरक और रोचक है, जो सीतारमैया के ठोस व्यक्तित्व का परिचायक है। इस गांधीवादी नेता का निवास दक्षिण भारत था, किन्तु उन्होंने हिंदी को राष्ट्रव्यापी चेहरा देने के लिए एक निराली और अटूट मुहिम चलाई, जो आगे चलकर मोटे तौर पर स्वीकृत हो गई। सीतारमैया जो भी पत्र लिखते, उस पर पता हिंदी में ही लिखते थे। यह कोई सनक नहीं थी। लेकिन ठोस झारदा था इसके पीछे। जब उस वक्त दक्षिण भारत में हिंदी गुमनाम थी। वहां के डाक तार विभाग में अजीब सी स्थिति पैदा हो गई क्योंकि दक्षिण भारत में तमाम डाकियों को हिंदी का कहकरा तक नहीं आता था। अब करें तो करें क्या? ऐसी मुसीबत पहले कभी आई नहीं थी।

इस महादिक्कत से निकलने के लिए उपाय सोचा गया कि संबंधित सभी डाकिए मिलकर सीतारमैया से लिखित में यह निवेदन करें कि वे (सीतारमैया) अपने सभी पत्रों पर पते अंग्रेजी में ही लिखे क्योंकि किसी डाकिए को हिंदी आती ही नहीं है। इससे फायदा यह होगा कि उनकी डाक आसानी से सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाया करेगी। लेकिन सीतारमैया अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने डाकियों की एक भी बात नहीं

मानी और पत्रों पर हिंदी भाषा में ही पते लिखते रहे।

उधर, डाकिया ने फिर समझाया, लेकिन बात नहीं बनी तो उक्त सारे पत्र डेड लेटर बक्से (पता नहीं मिलने वाला पत्र का बक्सा) में डाले जाने लगे। बात बिगड़ गे लगी, लेकिन सीतारमैया जिद पर अड़ रहे। झूकने को तैयार ही नहीं हुये, आखिकार डाक तार विभाग ने ही एक बीच का रास्ता निकाला। उसने मछलीपट्टनम नामक शहर के मुख्य डाक घर में एक हिंदी विशेषज्ञ की नियुक्ति की, जिसके कारण सीतारमैया के पत्रों की आवाजाही आसान होने लगी। यह जीत हिंदी की आज भी यादगार जीत मानी जाती है, क्योंकि हमारी हिन्दी भाषा है ही लाजवाब जिसका दुनिया में भी डंका बजने लगा है।





डॉ. अमित सोनी
प्रबंधक (वि.से.)

राष्ट्रीय चिकित्सा एवं उपकरण नीति - 2023

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत ने वैंटिलेटर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट रियल राइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे डायग्नोस्टिक किट पॉलीमेर चेन एंट्रेक्शन (आरटी-पीसीआर) किट, इन्फ्रारेड (आईआर), थर्मामीटर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और एन-95 मास्क के बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से COVID-19 महामारी के खिलाफ घरेलू और वैश्विक लड़ाई का समर्थन किया।

जैसे चिकित्सा उपकरणों और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 से उम्मीद की जाती है कि यह पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता और नवाचार के सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की सुविधा प्रदान करेगी। इस क्षेत्र से अपनी पूरी क्षमता का एहसास होने की उम्मीद है, जैसे कि नवाचार पर ध्यान देने के साथ-साथ विनिर्माण के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण एक मजबूत और सुव्यवस्थित नियामक ढांचा तैयार करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिमा और कुशल संसाधन आदि।



इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिन्दी को समझते हैं - राहुल सांकृत्यायन



जलवायु परिवर्तन

घनोश खोत
सह. सह टंकक (का.एवं प्र.)

जलवायु परिवर्तन भारतीय मानसून को बदल रहा है और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में भारत में मानसून में कई परिवर्तन हुए हैं, विशेष कर जलवायु परिवर्तन के कारण। मानसून सिस्टम के ट्रैक में बदलाव, जैसे कम दबाव और अवसाद, अपनी स्थिति के दक्षिण की ओर यात्रा करना और फ्लैश फ्लैट इस परिवर्तन का परिणाम हैं और ये परिवर्तन उन स्थानों पर तीव्र और लगातार चरम अभूतपूर्व मौसम की घटनाओं को जन्म देते हैं जो कभी सामान्य मानसूनी बारिश को रिकॉर्ड करने के लिए संघर्ष करते थे। इस मंडराते खतरे के साथ, खाद्य सुरक्षा पर असर डालते हुए, यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब इसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

बढ़ते तापमान और आर्द्रता के साथ ये असमान वितरण वर्षा कीटों के हमलों और बीमारियों को जन्म देती है। यह, बदले में, अनाज की गुणवत्ता के साथ-साथ पोषण मूल्य को भी प्रभावित करेगा। एक अध्ययन के अनुसार, 'जलवायु परिवर्तन, भारत में मानसून और चावल की उपज', बहुत अधिक तापमान गर्मी के तनाव को प्रेरित करता है और पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे स्पाइक लेट बॉँडापन, गैर-व्यवहार्य पराग और अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है। दूसरी ओर, सूखा पौधों की बाष्पोत्सर्जन दर को कम करता है और इसके परिणाम स्वरूप पत्ती मुरझाना और सूखना, पत्ती विस्तार दर में कमी और पौधे बायोमास, विलेय का स्थिरीकरण और पत्तियों का ताप तनाव बढ़ सकता है।

हाल के शोध से संकेत मिलता है कि 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान भारत में मानसून की वर्षा कम बारंबार लेकिन अधिक तीव्र हो गई थी। वैज्ञानिकों और खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर वर्षा परिदृश्य फसल को बढ़ाने में मदद कर सकता था। हालाँकि, भारत के करोड़ों चावल उत्पादक और उपभोक्ता इन अभूतपूर्व परिवर्तनों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा पर भी चिंता पैदा कर रहे हैं।



यूनीकोड एनकोडिंग

भाषाओं की यूनीवर्सल एनकोडिंग कर दिए जाने के कारण विश्व की वे सभी भाषायें जो लिपिबद्ध हैं, विंडो के साथ बाय डिफाल्ट कम्प्यूटर में उपलब्ध हैं। भाषाओं की इसी यूनीवर्सल एनकोडिंग को यूनीकोड कहा जाता है। अमेरिका में स्थित "यूनीवर्सल एनकोडिंग कंसर्टियम" के अनुसंधान से ही ऐसा संभव हो पाया है।

हर भाषा के साथ एक की-बोर्ड एवं एक फॉन्ट भी बाय डिफाल्ट कंप्यूटर में उपलब्ध है। यूजर जिस भाषा में काम करना चाहें, उसका चयन कर उससे संबंधित की-बोर्ड को एक्टिव करके कंप्यूटर पर उस भाषा में काम कर सकते हैं। यूनीकोड के अविर्भाव से हिंदी अब अंग्रेजी के समकक्ष स्थापित हो गई है।

अब हर एप्लीकेशन में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब फाइल का नाम देवनागरी लिपि में सेव किया जा सकता है। विभिन्न ब्राउजरों के माध्यम से इंटरनेट पर देवनागरी लिपि में सर्च किया जा सकता है।

ई-मेल भेजते समय सीधे हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि) का प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि यदि यूनीकोड समर्थित फॉन्ट में कोई फाईल तैयार की गई है, तो उसे अटैचमेंट के रूप में भेजने पर उसके साथ अब फॉन्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है।

हिंदी में टंकण कार्य करने के लिए अब प्रत्येक विंडो में देवनागरी इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड इन बिल्ट है। यदि किसी को इन स्क्रिप्ट की-बोर्ड से टंकण कार्य करना नहीं आता है तो www.bashaindia.com वेबसाइट पर जाकर अपने

कंप्यूटर की विंडो के अनुसार इन्डिक-2 अथवा इन्डिक-3 की-बोर्ड डाउनलोड करके रेमिंगटन टाइपराइटर की-बोर्ड की मदद से भी टंकण कार्य कर सकते हैं। यही नहीं जो यूजर केवल अंग्रेजी में टंकण कार्य करना चाहते हैं, वे भी

www.bashaindia.com/downloads.aspx वेबसाईट पर जाकर Indic Language Input Tool सॉफ्टवेयर की मदद से अंग्रेजी की-बोर्ड द्वारा देवनागरी लिपि में सरलता से टंकण कार्य कर सकते हैं।

कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि एवं हिंदी भाषा में कार्य करना अब बेहद आसान है क्योंकि हिंदी सहित दुनिया की सभी लिपिबद्ध भाषाएँ अब प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर में ही उपलब्ध हैं।

इतना ही नहीं प्रत्येक विंडो में टंकण कार्य करने के लिए की-बोर्ड की सुविधा भी बाय डिफाल्ट उपलब्ध है। कम्प्यूटर पर हिंदी (देवनागरी) में टंकण कार्य करने के लिए वेबसाइट पर अन्य कई प्रकार के की-बोर्ड भी उपलब्ध हैं।

९	ॐ	ं	ः	ओ	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ल	ऐ	ऐ	ए	ए	ए	ए	ए	
०९०१	०९११	०९२१	०९३१	०९४१	०९५१	०९६१	०९७१	०९८१	०९९१	०९०२	०९१२	०९२२	०९३२	०९४२	०९५२	०९६२	०९७२	०९८२	०९९२	
ऐ	ओ	ओ	ओ	क	ख	ग	घ	ঙ	চ	ছ	জ	ঞ	জ	ঞ	জ	ঞ	জ	ঞ	ট	
০৯১০	০৯১১	০৯১২	০৯১৩	০৯১৪	০৯১৫	০৯১৬	০৯১৭	০৯১৮	০৯১৯	০৯১১০	০৯১১১	০৯১১২	০৯১১৩	০৯১১৪	০৯১১৫	০৯১১৬	০৯১১৭	০৯১১৮	০৯১১৯	
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	ধ	ধ	ন	ঙ	প	ফ	ব	ভ	ম	য	ম	য	ম	য	
০৯২০	০৯২১	০৯২২	০৯২৩	০৯২৪	০৯২৫	০৯২৬	০৯২৭	০৯২৮	০৯২৯	০৯২১০	০৯২১১	০৯২১২	০৯২১৩	০৯২১৪	০৯২১৫	০৯২১৬	০৯২১৭	০৯২১৮	০৯২১৯	
ৰ	ৱ	ল	ল	ল	ল	ব	শ	ষ	স	হ	্	্	্	্	্	্	্	্	্	
০৯৩০	০৯৩১	০৯৩২	০৯৩৩	০৯৩৪	০৯৩৫	০৯৩৬	০৯৩৭	০৯৩৮	০৯৩৯	০৯৩১০	০৯৩১১	০৯৩১২	০৯৩১৩	০৯৩১৪	০৯৩১৫	০৯৩১৬	০৯৩১৭	০৯৩১৮	০৯৩১৯	
ঠী	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু	ঠু										
০৯৪০	০৯৪১	০৯৪২	০৯৪৩	০৯৪৪	০৯৪৫	০৯৪৬	০৯৪৭	০৯৪৮	০৯৪৯	০৯৪১০	০৯৪১১	০৯৪১২	০৯৪১৩	০৯৪১৪	০৯৪১৫	০৯৪১৬	০৯৪১৭	০৯৪১৮	০৯৪১৯	
ঢঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	
০৯৫০	০৯৫১	০৯৫২	০৯৫৩	০৯৫৪	০৯৫৫	০৯৫৬	০৯৫৭	০৯৫৮	০৯৫৯	০৯৫১০	০৯৫১১	০৯৫১২	০৯৫১৩	০৯৫১৪	০৯৫১৫	০৯৫১৬	০৯৫১৭	০৯৫১৮	০৯৫১৯	
ঢু	ঢু	ঢু	ঢু	ঢু	ঢু	ঢু	ঢু	ঢু	ঢু											
০৯৬০	০৯৬১	০৯৬২	০৯৬৩	০৯৬৪	০৯৬৫	০৯৬৬	০৯৬৭	০৯৬৮	০৯৬৯	০৯৬১০	০৯৬১১	০৯৬১২	০৯৬১৩	০৯৬১৪	০৯৬১৫	০৯৬১৬	০৯৬১৭	০৯৬১৮	০৯৬১৯	
ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	ঁ	
০৯৭০	০৯৭১	০৯৭২	০৯৭৩	০৯৭৪	০৯৭৫	০৯৭৬	০৯৭৭	০৯৭৮	০৯৭৯	০৯৭১০	০৯৭১১	০৯৭১২	০৯৭১৩	০৯৭১৪	০৯৭১৫	০৯৭১৬	০৯৭১৭	০৯৭১৮	০৯৭১৯	



भारती रमेश पिल्ले
वरिष्ठ आशुलिपिक

श्रद्धा की कसौटी

एक साधु महाराज श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। साधु महाराज का एक नियम था, प्रतिदिन वह कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए आमंत्रित करते थे। वह जहां पर कथा सुनाते थे, वहां उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के रूप में एक गद्दी भी रखी हुई थी। “आइए, हनुमंत जी बिराजिए” यह कहकर हनुमान जी का आव्हान करते थे, उसके बाद एक घंटे कथा सुनाते थे।

एक महाशय प्रतिदिन रामकथा सुनने आते थे। वह भक्तिभाव से कथा सुनते थे। परंतु एक दिन उनके मन में विचार आया कि महाराज कथा आरंभ करने से पहले “आइए, हनुमंत जी बिराजिए” ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहां पर आते होंगे।

एक दिन उन्होंने साधु महाराज से पूछ ही लिया, ‘महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। हमें बड़ा आनंद मिलता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महाराज ने कहा, ‘हां, यह मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहां रामकथा सुनाई और सुनी जाती है, वहां हनुमान जी अवश्य पथारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, ‘महाराज हनुमान जी यहां पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं।’

महाराज ने बहुत समझाया कि, आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूँ अथवा आप कथा में आना छोड़ दो। परंतु वह व्यक्ति नहीं माना। महाराज से कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि, हनुमान जी कथा सुनने आते हैं।

इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा। अंत में साधु महाराज ने कहा, ‘हनुमान जी आते हैं अथवा नहीं इसका प्रमाण मैं कल आपको दूँगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वह गद्दी ले आना। उसके बाद मैं गद्दी यहां रखूँगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली, तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं।’

वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, ‘हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें? यह तो सत्य की परीक्षा है।’ उस व्यक्ति ने कहा, ‘मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूँगा। परंतु आप पराजित हो गए तो क्या करेंगे?’ साधु ने कहा, ‘मैं कथा वाचन छोड़कर आप का सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। सारे लोग भक्ति, श्रद्धा, प्रेम

और विश्वास की परीक्षा देखने आ पहुंचे ।

साधु महाराज और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए । उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी । प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहां गद्दी रखते थे, उसी स्थान पर वह रखी गई । महात्मा जी ने अंतर आत्मा से मंगलाचरण किया और बोले, “आइए हनुमंत जी बिराजिए ।” ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आँखों में आँसू आ गए । मन ही मन महाराज बोले, ‘हे प्रभु ! आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है । मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं । मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना, प्रभु ।

साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने के लिए निमंत्रण दिया । सभी की आँखे गद्दी पर जम गई ।

साधु महाराज बोले, ‘महाशय, आप गद्दी उठाइए ।

उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था ! जो भी कारण से हो रहा था, उसने तीन बार हाथ बढ़ाया, किन्तु तीनों बार गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया ।

महाराज देख रहे थे, गद्दी उठाना तो दूर वह व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा था । तीनों बार प्रयास करने पर वह पसीने से तर-बतर हो गया । वह व्यक्ति समझ गया कि, यह साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ‘महाराज गद्दी उठाना तो दूर, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है । मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं ।

जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया ।

“ कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है । प्रभु की मूर्ति पाषाण की ही होती है परंतु भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्वयं प्रभु उसमें बिराजते हैं । ”



आजादी का अमृत महोत्सव



दिव्येश लिम्बाचिया
वरि. सहा. (वित्त)

स्लोगन

आजादी का अमृत महोत्सव आया है।

हर घर तिरंगा लहराया है॥

जन-जन के मन में सैलाब उठाना है।
देश को विकास के शिखर पर पहुंचाना है॥

आजादी के अमृत महोत्सव
में प्रण लेना है।

सभी जाति, धर्म समूह में प्रेम
का दीप जलाना है॥

सक्षम मानवता की छबि कैसी हो।
निःस्वार्थ विकासशील व्यक्तित्व जैसी हो॥

आजादी का अमृत महोत्सव
पर संकल्प लेना है।

देश के कोने-कोने में एकता
की लहर बहाना है॥



नैना बुराडे
ओ.सी.पी.आर. वर्कर

ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम - 2022

- ▲ प्रत्येक निर्माता, निर्माता नवीनीकरण कर्ता, भंजक और पुनर्वर्कण कर्ता के लिए लागू।
- ▲ सभी निर्माता, निर्माता, रिफर्बिशर और रिसाइकलर को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- ▲ कोई भी इकाई पंजीकरण के बिना कोई व्यवसाय नहीं करेगी और किसी अपंजीकृत इकाई के साथ व्यवहार भी नहीं करेगी।
- ▲ प्राधिकरण अब ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया है। और केवल निर्माता, निर्माता नवीनीकरण कर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को पंजीकरण की आवश्यकता है।
- ▲ अनुसूची का विस्तार किया गया और अब 106 EEE को EPR व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है।
- ▲ अधिसूचित EEE के उत्पादकों को पहले बेचे गए EEE से उत्पादन के आधार पर था EEE की बिक्री के आधार पर जैसा भी मामला हो, वार्षिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य दिए गए हैं। लक्ष्य को 2 वर्षों के लिए स्थिर बनाया जा सकता है और वर्ष 2023 -2024 और 2024 - 2025 के लिए 60% से शुरू किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 और 2026- 27 के लिए 70 और वर्ष 2027-28 और 2028 29 और उसके बाद के लिए 80% किया जा सकता है।
- ▲ नए नियमों में जोड़े गए सौर पीवी मॉड्यूल / पैनल / सेल का प्रबंधन।
- ▲ पुनर्चक्रित मात्रा की गणना अंतिम उत्पादों के आधार पर की जाएगी, ताकि किसी झूठे दावे से बचा जा सके।
- ▲ ईपीआर प्रमाणपत्र के सृजन और लेन-देन का प्रावधान शुरू किया गया है।
- ▶ पर्यावरण मुआवजा और सत्यापन और लेखा परीक्षा के प्रावधान शुरू किए गए हैं।

मनिषा लांजेवार
प्रशिक्षु (कोपा)



पृथ्वी दिवस - 2023

22 अप्रैल, 2023 को वार्षिक पृथ्वी दिवस कार्यक्रम हुआ। इस वर्ष, पृथ्वी दिवस शनिवार, 22 अप्रैल 2023 को है। इस वैश्विक आयोजन में भाग लेने से हमारे ग्रह और इसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ती है। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी दिवस पर होने वाली कई गतिविधियों और कार्यक्रमों में रेलियां, संगीत कार्यक्रम और वृक्षारोपण गतिविधियां शामिल हैं।

पृथ्वी दिवस 2023 की थीम 'हमारे ग्रह में निवेश' है।
(2022 के समान)

पृथ्वी दिवस का इतिहास

पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 1970 को मनाया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन विस्कॉन्सिन के संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने किया था। वर्ष 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक तेल रिसाव से हुए नुकसान को देखने के बाद उन्हें कार्बाई के लिए प्रेरित किया गया। गेलॉर्ड नेल्सनने महसूस किया कि हमारे ग्रह को संरक्षित करने के लिए मनुष्यों को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक और सक्रिय होने की आवश्यकता थी। पहले पृथ्वी दिवस पर संयुक्त राज्य भर में 20 मिलियन से अधिक लोगों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

पृथ्वी दिवस दुनिया भर के 193 से अधिक देशों में मनाया जाता है। वर्तमान में, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग पृथ्वी दिवस में भाग लेते हैं। 22 अप्रैल, 2020 को पृथ्वी दिवस ने अपनी 50 वीं वर्षगांठ मनाई। हालांकि, यह कार्यक्रम कोविड-19 के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया था।



मनोज निर्मलकर

सह. सह टंकक (का. एवं प्र.)



डिजिटल प्रकाशन का नया युग

डिजिटल प्रकाशन ने भारत में लेखकों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। सबसे पहले, यह उन्हें पारंपरिक प्रकाशक के समर्थन के बिना अपने काम को स्व-प्रकाशित करने की अनुमति देता है। लेखक अपनी पुस्तकों को डिजिटल प्रकाशन प्लेटफॉर्म के साथ स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं। इतनी आसानी से सुलभ डिजिटल सामग्री के साथ, लेखक दुनिया भर के पाठकों तक पहुँच सकते हैं। यह जोखिम और बिक्री को बढ़ाता है।

डिजिटल प्रकाशन ने पाठकों के लिए सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कहीं से भी एक्सेस करना आसान बना दिया है। दूसरा, इसने पढ़ने को अधिक किफायती बना दिया है, क्योंकि ई-पुस्तकें आमतौर पर उनके प्रिंट समकक्षों की तुलना में सस्ती होती हैं। तीसरा, डिजिटल प्रकाशन के विकास ने भारत में पढ़ने की आदतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। डिजिटल सामग्री की बढ़ती उपलब्धता के साथ, लोग पहले से कहीं ज्यादा पढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में ई-प्रकाशन खंड का राजस्व 890.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। साथ ही, 2025 तक ई-प्रकाशन की पाठक संख्या 165.70 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

चुनौतियाँ: डिजिटल प्रकाशन अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है। मुख्य चुनौतियों में से एक पायरेसी है। डिजिटल सामग्री आसानी से सुलभ होने के कारण लोगों के लिए कॉपी राइट सामग्री को अवैध रूप से डाउनलोड और वितरित करना आसान हो जाता है। इसलिए, प्रकाशकों को अपनी सामग्री को अनाधिकृत वितरण से बचाने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए। डिजिटल प्रकाशन की एक अन्य चुनौती निरंतर अद्यतन और रखरखाव है। प्रासंगिक और अद्यतित रहने के लिए डिजिटल सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके लिए समय और संसाधनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्रकाशन

की दुनिया में, गुणवत्ता सामग्री अंतिम पैरा मीटर है। इतनी सारी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ, प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी सामग्री और आकर्षक हो। इसका अर्थ है उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री बनाना जो विशिष्ट और सूचनात्मक हो।

भविष्य: चुनौतियों के बावजूद डिजिटल प्रकाशन का भविष्य उज्ज्वल है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम और अधिक इंटरएक्टिव और इमर्सिव कंटेंट देखने की उम्मीद करते हैं। आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता का उपयोग पहले से ही कुछ डिजिटल प्रकाशनों में किया जा रहा है और हम भविष्य में अधिक वैयक्तिकृत सामग्री देख सकते हैं।

बड़े डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय के साथ, प्रकाशक अपने पाठकों की प्राथमिकताओं और उनकी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार सामग्री पर डेटा एकत्र कर सकते हैं। डिजिटल सामग्री ने उन लोगों के लिए पढ़ना अधिक सुलभ बना दिया है, जिनके पास पारंपरिक पुस्तकों तक पहुँच नहीं थी। हालाँकि, भारत में मुख्यधारा के प्रकाशन मोड बनने से पहले डिजिटल प्रकाशन को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

डिजिटल प्रकाशन ने क्रांति ला दी है कि भारत में सामग्री कैसे बनाई, वितरित और उपभोग की जाती है, इसने प्रकाशकों, लेखकों और पाठकों के लिए समान रूप से नए अवसर खोले हैं। हालाँकि, भारत में मुख्यधारा के प्रकाशन मोड बनने से पहले कुछ चुनौतियों का अभी भी समाधान करने की आवश्यकता है। सही बुनियादी ढांचे और जागरूकता अभियानों के साथ, डिजिटल प्रकाशन भारतीय प्रकाशन उद्योग के लिए गेम-चेंजर बन सकता है।

सहकारी समितियों के सिद्धांत



प्रतिभा मिश्रा

कनिष्ठ कार्यालय अधिकारी
(का. एवं प्र.)

1. खुली और स्वैच्छिक सदस्यता : एक सहकारी समिति में सदस्यता उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो यथोचित रूप से इसकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और जाति, धर्म या आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों (निदेशकों न्यासियों) को सदस्यों में से चुना जाता है और वे उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में, सदस्यों के पास समान मतदान अधिकार होते हैं (एक सदस्य, एक वोट), अन्य स्तरों पर सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक तरीके से संगठित किया जाता है।

3. सदस्य की आर्थिक भागीदारी : सदस्य अपनी सहकारी समिति की पूजी में समान रूप से योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करते हैं। उस पूजी का कम से कम कुछ हिस्सा सहकारिता की आम संपत्ति बना रहता है। सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक या सभी उद्देश्यों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं। सहकारी समिति का विकास कर तथा भंडार स्थापित करना सहकारिता के साथ उनके लेन-देन के अनुपात में सदस्यों को लाभान्वित करना और सदस्यता द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों का समर्थन करना।

4. स्वायत्ता और स्वतंत्रता: सहकारी समितियां स्वायत्त स्वयं सहायता संस्थाएँ हैं जो अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ समझौते करते हैं, या बाहरी स्रोतों से पूजी जुटाते हैं तो वे ऐसा उन शर्तों पर करते हैं जो लोकतांत्रिक नियंत्रण के साथ-साथ उनकी विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित करती है।

5. शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना : सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों (निदेशक/न्यासियों) सीईओ और कर्मचारियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण उनकी सहकारी समितियों के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने में मदद करते हैं। सहकारी समितियों की प्रकृति और लाभों के बारे में संचार विशेष रूप से आम जनता और राज्य के नेताओं के साथ, सहकारी समझ को साझा करने में मदद करता है।

6. सहकारी समितियों के बीच सहयोग : स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से एक साथ काम करके सहकारी सेवाओं में सुधार, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और सामाजिक और सामुदायिक आवश्यकताओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से निपटना।

7. समुदाय के लिए चिंता: सदस्यता द्वारा समर्थित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के सतत विकास के लिए सहकारी कार्य।



दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश

रामदास पी. धकाते

सहा. सह टंकक (का. एवं प्र.)

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 1.4286 बिलियन जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जिसने चीन की 14257 बिलियन जनसंख्या को पीछे छोड़ दिया है। 340 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका देश का तीसरा स्थान है। प्यू-रिसर्च सेंटर के अनुसार 1950 के बाद से भारत की जनसंख्या में एक अरब से अधिक लोगों की वृद्धि हुई है, जिस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्र करना शुरू किया था।

भारत की विशाल जनसंख्या आधार को मानव पूँजी में बदलना :

- ◆ ग्रामीण आबादी को शहरी सुविधाएं और संसाधन प्रदान करके ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाठना।
- ◆ पढ़ाई पढ़ाई नहीं बल्कि परीक्षा के तहत डिग्री / डिप्लोमा देने की व्यवस्था को कुशल शिक्षा और प्रदर्शन आधारित पुरस्कार प्रणाली से बदला जाना चाहिए।
- ◆ उद्योग 4.0 के सभी घटकों यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेल रियलिटी साइबर फिजिकल सिस्टम, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस रोबोट्स, बिग डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में युवाओं को सशक्त और समृद्ध बनाना। क्वांटम कम्प्यूटिंग और क्वांटम संचार।
- ◆ तीसरी कक्षा से ही कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाना।
- ◆ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास।
- ◆ नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान करके देश से शेष विश्व में और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रतिभा पलायन को प्रोत्साहित करना।
- ◆ आर्थिक और लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना।
- ◆ आवासीय और व्यावसायिक आदतों का सतत विकास।
- ◆ लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण और रक्षा करना और लोकतांत्रिक पहलों को मजबूत करना।
- ◆ आम आदमी के बीच प्रगतिशील मूल्यों को प्रोत्साहित करना।

उठो, जागो और तब तक मत रखो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाये।



कोविड - 19



सोहनलाल विश्वकर्मा
मैकेनिक कम ऑपरेटर प्लांट

कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (COWIN) प्रणाली को 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इसने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को तकनीकी आधार प्रदान किया है, जिसने अब तक 220 करोड़ से अधिक खुराक दी है।

COWIN को रिकॉर्ड समय में स्केलेबिलिटी, मॉड्युलारिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी पर विचार करने के लिए विकसित किया गया था, जिसमें वैक्सीन निर्माताओं, प्रशासकों और सत्यापनकर्ताओं, सार्वजनिक और निजी टीकाकरण सुविधाओं, और वैक्सीन प्राप्तकर्ताओं आदि सहित विभिन्न हितधारकों को जोड़ा गया था। मंच अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया है और 11 क्षेत्रीय भाषाएं कई राज्यों के नागरिकों को इसे आसानी से एक्सेस करने की अनुमति देती हैं।

CoWIN के साथ, लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से एक सहज नेटवर्क के माध्यम से कोविड टीकाकरण के लिए बुकिंग कर सकते हैं। डिजिटल पहुंच की कमी को दूर करने के लिए, एक मोबाइल नंबर से जुड़े खाते के तहत छह सदस्यों तक पंजीकृत होने के लिए मंच प्रदान किया गया।

CoWIN प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं (i) मिश्रित पंजीकरण- लाभार्थी टीकाकरण केंद्र में ऑनलाईन या ऑन-साइट (वॉक-इन) पंजीकरण कर सकते हैं। (ii) लाभार्थी समय की सुविधा और स्थान की पसंद के आधार पर ऑनलाईन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। (iii) ट्रैक टीकाकरण कार्यक्रम (iv) प्रमाण पत्र सुधार उपयोगिता के साथ तत्काल डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र (vii) 12 भाषाओं के साथ बहुभाषी पोर्टल (vi) टीका लगाने वाले के उपयोग में आसानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन (vii) टीका स्टॉक प्रबंधन (viii) वैक्सीन अनुसूचियों का अग्रिम रूप से प्रकाशन (ix) रीयल टाइम डैशबोर्ड (x) प्रतिरक्षण के बाद प्रतिकूल घटना की ट्रैकिंग (AEFI) (xi) डिजिटल कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र ट्रैकिंग, और (xii) सुविधा वार कवरेज।



संकटराम ब्रम्हवंशी
प्रशिक्षु सहा. सह हिंदी अनुवादक

सर्वेक्षण



सर्वेक्षण वह कला है जिसमें भूपृष्ठ, भूगर्भ या आकाश में स्थित बिन्दुओं की सापेक्ष स्थिति (रिलेटिव पोजीशन), उनके बीच की दूरी, दिशा या उच्चता (इलेवेशन) मापकर की जाती है। इसके द्वारा पहले से ज्ञात कोणीय (एन्गुलर) और रैखिक मापों (लीनियर) द्वारा बिन्दुओं को संस्थापित (इस्ताब्रिश) भी किया जा सकता है।

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य खाका विन्यास (प्लान) या मानचित्र (मैप) बनाना है जिससे की उस क्षेत्र का क्षैतिज समतल में निरूपण किया जा सके। खाका विन्यास किसी क्षेत्र का क्षैतिज प्रक्षेप (होरिजोनल प्रोजेक्शन) है और बिन्दुओं के बीच की क्षैतिज दूरी ही बताता है। बिन्दुओं की आपेक्षिक उच्चता (रिलेटिव इलेवेशन), सम्मोच रेखा (कांटर लाईन), रेखाच्छादन (हर्चच) या अन्य किसी ढंग से बताई जाती है।

सर्वेक्षण के मुख्य खंड

पृथ्वी एक लध्वक्ष गोलाभ (ऑबलेट स्पेरॉइड) है और नारंगी के सिर की तरह चपटी है। इसके ध्रुवी-अक्ष (पोलार एक्सिस) की लंबाई 12,713,800 मीटर है और विशुवत-अक्ष (इक्वाटोरियल एक्सिस) की लम्बाई 12,756,750 मीटर है। इस प्रकार ध्रुवी-अक्ष, विशुवत-अक्ष से 42.95 कि.मी. छोटा है। पृथ्वी के व्यास की तुलना में यह 0.34 प्रतिशत से भी कम है। सर्वेक्षक (सर्वेयर) पृथ्वी की सतह की वक्रता पर ध्यान दें या उसे समतल मानें, यह बात सर्वेक्षण के लक्षण (कैरेक्टर) व उसके परिणाम (मैनीट्रूड) और वॉछित परिशुद्धि (प्रिसीजन) पर आधारित होगी।

मुख्यतः सर्वेक्षण दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है।

1. समतल सर्वेक्षण (प्लैन सर्वेयिंग) : समतल सर्वेक्षण में पृथ्वी के गोलाभ शक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और उसकी औसत सतह को समतल समझा जाता है। सर्वेक्षण रेखाओं द्वारा बने हुए सब त्रिभुज समतल त्रिभुज

माने जाते हैं। तलरेखा सीधी मानी जाती है और भूलम्ब रेखाएं समानान्तर मानी जाती हैं।

2. भूपृष्ठ सर्वेक्षण (जियोडेटिकल सर्वेयिंग)

इस सर्वेक्षण में पृथ्वी के गोलीय आकृति को मान्यता दी जाती है। पृथ्वी की सतह पर सभी रेखाएं वक्रीय मानी जाती हैं और सभी त्रिभुज गोलीय त्रिभुज माने जाते हैं। इस प्रकार सभी गणनाओं में गोलीय त्रिकोणमिति (स्पेरीकल त्रिगणामेंट्री) का उपयोग किया जाता है।

वर्गीकरण

अ. सर्वेक्षण के क्षेत्र पर आधारित वर्गीकरण

क. क्षेत्र सर्वेक्षण (लैंड सर्वे) : इसके अंतर्गत निम्न सर्वेक्षण आते हैं।

1. स्थालाकृति सर्वेक्षण (टोपोग्राफिकल सर्वेयिंग)

इसका मुख्य उपयोग किसी प्रदेश की प्राकृतिक आकृतियां जैसे नदी, नाले, झील, जंगल, पहाड़ आदि व कृत्रिम आकृतियां जैसे सड़क, रेल, नहर, गांव, कस्बे व शहर की स्थिति निर्धारित करने एवं उनके आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

2. भूकर सर्वेक्षण (केडास्ट्रल सर्वे) : भूकर सर्वेक्षण संपत्ति रेखा के निर्धारण के लिए, जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए या एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जमीन-संपत्ति के बदली के संबंध में किया जाता है।

3. नगर सर्वेक्षण (सिटी सर्वे) : नगर सर्वेक्षण, शहर की गलियां, सड़कें, जलप्रदाय योजना या सीवर आदि के निर्माण कार्य के संबंध में किया जाता है।

ख. समुंद्रीया जल सर्वेक्षण (मरीन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे) :

समुंद्री या जल सर्वेक्षण, जल की गहराई एवं विस्तार जानने के लिए किया जाता है जिससे नौपरिवहन (नेविगेशन), जल प्रदाय योजना, बंदरगाह के निर्माण में सहायता मिल सके।

ग. खगोली सर्वेक्षण (एस्ट्रोनोमीकल सर्वे)

खगोली सर्वेक्षण द्वारा किसी बिन्दु की मूलस्थिति (एक्स्प्लूलेट पोजीशन) या पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी रेखा की मूल स्थिति एवं दिशा ज्ञात की जाती है।

ब. सर्वेक्षण के उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण

इसके अंतर्गत निम्न तरह के सर्वेक्षण आते हैं।

1. इंजीनियरी सर्वेक्षण
2. फौजी सर्वेक्षण (मिलिट्री सर्वें)
3. खनि सर्वेक्षण (माईन सर्वें)
4. भूगर्भ सर्वेक्षण (जियोलॉजिकल सर्वें)
5. पुरातात्त्विक सर्वेक्षण (आर्केलॉजिकल सर्वें)

स. सर्वेक्षण के उपकरण या विधि पर आधारित वर्गीकरण

सर्वेक्षण का वर्गीकरण उसमें काम में लाये उपकरण (इस्ट्रमेंट) व उनकी कार्य विधि के आधार पर किया जा सकता है।

1. जरीब सर्वेक्षण (चेन सर्वें)
2. थियो डोलाइट सर्वेक्षण
3. माल-रेखा सर्वेक्षण (ट्रेवल्स सर्वें)
4. त्रिकोणीय सर्वेक्षण (ट्राय एंगुलर सर्वें)
5. दूरकोण मापी सर्वेक्षण (टेको मेट्रीक सर्वें)
6. पटल सर्वेक्षण (प्लेन टेबल सर्वें)
7. फोटो सर्वेक्षण (फोटो ग्राफिक सर्वें)
8. हवाई सर्वेक्षण (ऐरियल सर्वें)

सर्वेक्षण के सिद्धांत

समतल सर्वेक्षण के मूलसिद्धांत बहुत ही सरल हैं और उन्हे निम्न दो पहलुओं द्वारा बताया जा सकता है।

1. किसी भी बिन्दु की स्थिति कम से कम दो निर्देश बिन्दुओं (रिफरेन्स पॉइंट) से प्रेक्षण द्वारा ज्ञात करना।
2. संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर क्रमिक सर्वेक्षण करना (वर्किम फ्राम होलटू पार्ट)

माप की ईकाई

समतल सर्वेक्षण में निम्न तरह के माप काम में लाये जाते हैं।

1. क्षैतिज दूरी (होरीजोनटल डिस्टेन्स)
2. ऊर्ध्वाधर दूरी (वर्टिकल डिस्टेन्स)
3. क्षैतिज कोण (होरीजोनटल एंगल)
4. ऊर्ध्वाधर एवं शीर्षकोण (वर्टिकल एंगल)

खाकाविन्यास व मानचित्र (प्लान एंड मैप)

भूपृष्ठ या उसके ऊपर या नीचे की आकृतियों लेखा चित्रिय निरूपण, किसी पैमाने पर, एक क्षैतिज समतल पर लम्बरेखीय

प्रक्षेप (ऑरथोगोनल प्रोजेक्शन) द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के निरूपण को खाका विन्यास (प्लान) कहते हैं।

जिस प्रकार के निरूपण में यदि पैमाना बड़ा हो तो खाका विन्यास कहते हैं और यदि पैमाना छोटा होतो उसे मानचित्र कहते हैं।

पैमाना (स्केल)

जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है वह काफी बड़ा होता है अतः खाका विन्यास, मानचित्र या नक्शा हमेशा किसी पैमाने पर बनाया जाता है। पैमाना नक्शे की हर दूरी और जमीन पर की तद्रुल्पी दूरी के बीच का एक स्थिर अनुपात है। पैमाने का निरूपण निम्न तरीको से किया जा सकता है।

1. मानचित्र या नक्शे की 1 से.मी. दूरी जमीन पर की किसी पूर्णांक मीटर दूरी का निरूपण हो। जैसे 1 से.मी. = 10 मीटर। इस तरह के
2. पैमाने को इंजीनियरी पैमाना कहते हैं।
3. नक्शे की एक युनिट दूरी जमीन पर की कुछ यूनिट दूरी का निरूपण हो जैसे 1/1000। इस तरह के पैमाने को संख्यात्मक पैमाना कहते हैं।
4. पैमाने का निरूपण नक्शे पर लेखा चित्रिय पैमाना (ग्राफिकल स्केल) बनाकर भी किया जा सकता है। नक्शे के लिये पैमाने का चयन साधारण नक्शों के लिए ज्यादा तर उस तरह के पैमाने काम में लाये जाते हैं।

जिसमें 1 से.मी. लम्बाई से 10 मीटर के गुणक की लम्बाई निरूपित होती है जैसे 1 से.मी. = 30 मीटर, 1 से.मी. = 80 मीटर। पैमाने का चयन निम्न दो बातों पर आधारित होता है।

क. नक्शे का उपयोग

ख. निरूपित क्षेत्र का विस्तार इसके लिए दो नियम काम में लाये जाते हैं।

1. पैमाना इतना बड़ा हो जिससे कि आलेखन के समय या बने नक्शे से दूरी मापते समय पैमाने पर 0.25 मी.मी. से सूक्ष्म पाठ्यांक पढ़ने की जरूरत न पड़े।
2. पैमाना इतना छोटा हो कि उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण भी आलेखित किया जा सके।

संदर्भ :- सर्वेक्षण व क्षेत्रकार्य - भाग - 1

- i) डॉ. बालचंद्र पुनमिया
- ii) इंजी. अशोक कुमार जैन
- iii) डॉ. भरत कुमार जैन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर द्वारा
अयोजित कार्यक्रम में मॉयल लिमिटेड की राजभाषा विभाग की
पत्रिका मॉयल भारती पत्रिका को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।



#HarEkKaamDeshKeNaam





नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-१), नागपुर

24 मई, 2023

नराकास पुरस्कार

2021-22

गृहपत्रिका

“मॉयल भारती”

मॉयल लिमिटेड, नागपुर

प्रथम पुरस्कार